

केवल भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में आंतरिकप्रयोग के लिए
FOR INTERNAL USE IN INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT ONLY



राज्य प्राप्ति लेखापरीक्षा की नियम - पुस्तिका
विद्युत शुल्क
**MANUAL ON STATE RECEIPTS AUDIT
ELECTRICITY DUTY**

जारीकर्ता :

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) केरल, तिरुवनंतपुरम

Issued by:

The Principal Accountant General (Audit) Kerala, Thiruvananthpauram

प्रस्तावना

इस नियम- पुस्तिका को उन लोगों के मार्गदर्शन के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें विद्युत निरीक्षणालयों की प्राप्ति की लेखापरीक्षा का काम सौंपा गया है।

इस नियम-पुस्तिका में विद्युत निरीक्षणालयों में शुल्क की उगाही निर्धारण एवं वसूली को विनियमित करने वाले विभिन्न अधिनियमों के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। नियम-पुस्तिका में दिए गए लेखापरीक्षा अनुदेश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए नियम- पुस्तिकाओं / परिपत्रों में निहित सामान्य अनुदेशों के अतिरिक्त हैं।

इस नियम-पुस्तिका के प्रावधानों का उल्लेख इस कार्यालय से बाहर किए जाने वाले किसी भी पत्राचार में प्राधिकार के रूप में नहीं किया जाएगा।

विद्युत शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा से संबंधित राज्य प्राप्ति लेखापरीक्षा (मुख्यालय) अनुभाग, सुधार पत्रियां जारी करके नियम- पुस्तिका को अद्यतन बनाने के लिए जिम्मेदार है।

एस. नागलसामी

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

तिरुवनन्तपुरम
दिनांक .04.2009

PREFACE

This manual has been prepared for the guidance of those entrusted with the audit of receipts of Electrical Inspectorates.

In this manual the basic provisions of the different enactments governing the levy, assessment and collection of duty in the Electrical Inspectorates have been set out. The audit instructions in the manual are supplementary to the general instructions contained in the manuals/circulars issued by the Comptroller and Auditor General of India.

The provisions of this manual shall not be quoted as authority in any of the correspondence outside this office.

RSA(HQ) Section dealing with Electricity Duty Receipt Audit is responsible for keeping the, manual uptodate by issue of correction slips,

Thiruvananthapuram

Dated /1/2009

NAGAL SAMY

Principal Accountant General(Audit)

विषय - वस्तु

अध्याय	विषय	पैरा सं.	पृष्ठ सं.
I	भूमिका	1.1 से 1.2	1
II	लेखापरीक्षण मानक	2.1 से 2.5	2 से 18
III	विधायी पृष्ठभूमि		19
IV	विभागीय ढांचा	4.1 से 4.3	20
V	केरल विद्युत शुल्क अधिनियम एवं नियमावली, 1963	5.1 से 5.9	21 से 25
VI	विभागीय प्रक्रिया	6.1 से 6.6	26 से 28
VII	केरल विद्युत अधिभार अधिनियम एवं नियम		29
VIII	भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के तहत उगाहीयोग्य शुल्क	8.1 से 8.6	30 से 33
IX	बिजली सुपरवाइजरों एवं वायरकर्मियों को सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करना और परमिट देना तथा बिजली ठेकेदारों को लाइसेंस प्रदान करना ।	9.1 से 9.11	34 से 38
X	केरल सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1958 और नियमावली, 1988	10.1 से 10.5	39 से 40
XI	लेखापरीक्षा जांच		41
XII	रिपोर्टिंग	-	42

CONTENTS

Chapter	Subject	Para No.	Page no
I	Introduction	1.1 to 1.2	1
II	Auditing standards	2.1 to 2.5	2 to 18
III	Legislative background		19
IV	Departmental set up	4.1 to 4.3	20
V	Kerala Electricity Duty Act and Rules 1963	5.1 to 5.9	21 to 25
VI	Departmental Procedure	6.1 to 6.6	26 to 28
VII	The Kerala electricity Surcharge Act and Rules		29
VIII	Fees Leviable under the Indian Electricity Rules 1956	8.1 to 8.6	30 to 33
IX	Grant of certificate of competency and permits to Electrical supervisors and wiremen and Licences to Electrical contractors	9.1 to 9.11	34 to 38
X	The Kerala Cinema(Regulation) Act 1958 and Rules 1988	10.1 to 10.5	39 to 40
XI	Audit Checks		41
XII	Reporting		42

अध्याय - I

भूमिका

1.1 विद्युत शुल्क अधिनियम, 1963 के तहत 1972-73 से आगे की अवधि से संबंधित प्राप्तिओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम 6) (कार्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों) की धारा 16 के उपबंधों के अनुसार की गई है।

1.2 प्राप्तिओं की लेखापरीक्षा को अधिशासित करने वाले सामान्य सिद्धांत स्थायी आदेशों (लेखापरीक्षा) की नियम – पुस्तिका, में अन्तर्निहित है। इस नियम – पुस्तिका का उद्देश्य केवल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की नियम-पुस्तिका (लेखापरीक्षा) के उपबंधों का अनुपूरण है। प्राप्तिओं की लेखापरीक्षा में प्रायः संबंधित संविधियों एवं नियमों, उनके तहत जारी की गई अधिसूचनाओं एवं आदेशों की व्याख्या शामिल होती है। कानून, नियमों, अधिसूचनाओं आदि की व्याख्या करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए:-

(i) जहां किसी अधिनियम में शब्द विशेष को परिभाषित किया गया हो, वहां उस परिभाषा का अनुसरण किया जाना चाहिए। अधिनियमनों में ऐसी किसी परिभाषा के न होने पर जो सर्वमान्य परिभाषा हो, का अनुसरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए केरल विद्युत अधिनियम, 1963 में अपरिभाषित शब्दों की व्याख्या करने लिए “विद्युत अधिनियम, 2003” में दी गई परिभाषाओं का अनुसरण किया जा सकता है; यदि अधिनियमों में शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया हो, तो केरल सामान्य खण्ड अधिनियम में निहित परिभाषाओं को दिशा – निर्देश के रूप में लिया जाना चाहिए।

(ii) वित्तीय अधिनियमनों का आशय, प्रयुक्त भाषा के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

(iii) यदि किसी धारा विशेष की दो अथवा अधिक व्याख्या की जा सकती है, तो जो अधिनियम की अन्य धाराओं के साथ सुसंगत हो, को अपनाया जा सकता है। यदि कोई धारा संदेहास्पद अथवा अस्पष्ट अर्थ देने वाली हो, तो उसे कर - दाता के पक्ष में उसका हल किया जाना चाहिए।

CHAPTER –I

INTRODUCTION

1.1 Audit of receipts under Electricity Duty Act, 1963 pertaining to the period 1972- 73 onwards has been taken up in accordance with the provisions of Section 16 of the Comptroller and Auditor General’s (Duties, Powers and Conditions of Service) Act 1971(Central Act 6 of 1971).

1.2 General principles governing the audit of receipts are contained in the Manual of Standing Orders (Audit). This manual is meant only to supplement the provisions of the Comptroller and Auditor General’s Manual of Standing Orders (Audit). Audit of receipts often involves interpretation of the related statutes and rules, notifications and orders issued thereunder. In interpreting the law, rules, notifications etc, the following points have to be borne in mind:-

(i). Where a particular term has been defined in the Act, that definition is to be followed. In the absence of any such definition if any, in enactments which are parimateria may be followed. For example in interpreting terms not defined in the Kerala Electricity Act 1963, definition given in “ The Electricity Act 2003” can be followed; if the terms have not been defined in the Acts, definitions in the Kerala General Clauses Act are to be taken as the Guidelines.

(ii). Fiscal enactments are to be construed precisely according to the language used.

(iii). If a particular section lends itself to two or more interpretation, consistent with the other sections of the Act may be taken. If a section has doubtful or ambiguous meaning it must be resolved in favour of the tax-payer.

अध्याय - II

लेखापरीक्षण मानक

अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था संगठन (इंटोसाई) के लेखापरीक्षण मानकों को भारत के संविधान एवं भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई) के लेखापरीक्षण मानकों संबंधी संगत संविधियों एवं नियमों पर सम्यक विचार करते हुए उपयुक्त रूप में अपनाए गए हैं।

लेखापरीक्षण मानक उन सिद्धान्तों एवं पद्धतियों के मानकों को निर्धारित करते हैं, जिनका पालन करना लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा करते समय अपेक्षित होता है।

2.1 मूल अभिधारणा

लेखापरीक्षण मानकों के लिए मूल अभिधारणाएँ, मूल पूर्वधारणाएँ, तार्किक सिद्धान्त तथा अपेक्षाएँ हैं, जो लेखापरीक्षण मानकों को तैयार करने में मदद करते हैं और लेखापरीक्षकों को विशेष रूप से उन मामलों में, जहाँ विशिष्ट मानक लागू न हो, उनकी राय एवं रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करते हैं।

- साई को उन सभी मामलों में इंटोसाई के लेखापरीक्षण मानकों का पालन करना चाहिए, जिन्हें उच्च गुणवत्ता वाले कार्य एवं उत्पाद को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है, जो मूल्य व प्रकृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों।
- प्रतिकूल परिस्थितियों में, लेखापरीक्षण को युक्तियुक्त आधार पर अपनी राय एवं अपनी रिपोर्ट की विषय वस्तु के लिए ऐसी परिस्थिति में आवश्यक लेखापरीक्षण प्रक्रियाएँ तय करने में अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।
- साई को जनता की बढ़ती जागरूकता को देखते हुए राज्य के वित्तीय हितों के रक्षोपाय हेतु सक्षम होना चाहिए, जो जनता की जवाबदेही एवं उपयुक्त एवं किफायती वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देता हो।

CHAPTER-II

AUDITING STANDARDS

The auditing standards of the International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) have been suitably adopted with due consideration of the Constitution of India, relevant statutes and rules for the auditing standards for the Supreme Audit Institution of India (SAI).

Auditing standards prescribe the norms of principles and practices, which the Auditors are expected to follow in the conduct of audit.

2.1 Basic postulates

The basic postulates for auditing standards are basic assumptions, logical principles and requirements which help in developing auditing standards and serve the auditors in forming their opinions and reports, particularly in cases where no specific standards apply.

- The SAI should comply with INTOSAI Auditing standards in all matters that are deemed material to ensure that the work and products are of high quality having materiality by value and by nature.
- In diverse situations the Auditor must exercise his judgment in determining the auditing procedures necessary in the circumstances to afford a reasonable basis for his opinion and the content of his report.
- Commensurate with increased public consciousness, the SAI should be able to safeguard the financial interests of the State promoting public accountability and sound and economical financial management practices.

- लेखापरीक्षा कार्यपालक सरकार पर वित्तीय नियंत्रण करने में विधायिका की मदद करता है। सार्वजनिक धन के व्यय में किफायती दक्षता लाने के लिए न कि लेखापरीक्षा, कार्यपालक सरकार जिम्मेदार होती है। तथापि, अपव्ययिता, असफलता, प्रणाली की कमजोरियों, अभावों तथा निष्फल व्यय को बढ़ाने वाली परिस्थितियों को उजागर करना लेखापरीक्षा का कर्तव्य होता है।
- भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई) को लेखाकरण के स्वीकार्य मानकों के प्रचार- प्रसार हेतु सरकार को सलाह देनी चाहिए, जिससे कि वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों का उचित प्रस्तुतीकरण किया जा सके।
- यद्यपि यह लेखापरीक्षित संख्या की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने संसाधनों के संरक्षण हेतु उपयुक्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों को तैयार करें, फिर भी लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षित संख्या को उन मामलों में प्रस्ताव एवं सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जहां नियंत्रण अपर्याप्त हो अथवा उसकी कमी हो।
- लेखापरीक्षक के कार्य के दौरान, लेखापरीक्षा की गई संस्था के बारे में प्राप्त हुई जानकारी को लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र से बाहर के प्रयोजनों के लिए, और राय बनाने अथवा ऐसी रिपोर्टिंग करने के लिए, जो लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व के अनुसार न हो, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा मामलों के संबंध में तथा लेखापरीक्षा व्यवस्थापनों को पूरा करते समय प्राप्त जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखे।
- साई को लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षाधीन संस्था के बीच के हित प्रतिबंध से बचना चाहिए।

2.2 सरकारी लेखापरीक्षण में सामान्य मानक

सामान्य लेखापरीक्षण मानक लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा करने वाले संस्थान की अर्हताओं का वर्णन करते हैं।

- लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षा संस्थानों को स्वतंत्र होना चाहिए। लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता में विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्रता भी शामिल है।

- Audit assists the legislatures in the exercise of financial control over the executive government. The Executive Government and not Audit is responsible for enforcing economy efficiency in the expenditure of public money. It is, however, the duty of Audit to bring to light wastefulness, failures, system weaknesses, deficiencies and circumstances leading to infructuous expenditure.
- SAI shall advise the Government for the promulgation of acceptable accounting standards that should result in the fair presentation of the financial position and the results of operations.
- Though it is the responsibility of audited entity to develop adequate internal control systems to protect its resources, the Auditor shall submit proposals and recommendations to the audited entity where controls are found to be inadequate or missing.
- Information about an audit entity acquired in the course of the Auditor's work must not be used for purposes outside the scope of audit and formation of an opinion or in reporting not in accordance with the Auditor's responsibility. It is essential that audit maintain confidentiality regarding audit matters and the information obtained while carrying out audit engagements.
- **SAI should avoid conflict of interest between the auditor and the entity under audit.**

2.2 General standards in Government Auditing

The general auditing standards describe the qualifications of the auditor and the auditing institution.

- The auditor and the audit institutions must be independent. The independence of the Auditor includes independence from the legislature and the executive also.

- साई विधायिका के साथ मिलकर काम करता है और उसे विधान मण्डल द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना चाहिए, परन्तु यह महत्वपूर्ण है कि साई अपनी लेखापरीक्षा जिम्मेदारियों के निष्पक्ष दृष्टिकोण को बनाए रखने के क्रम में राजनैतिक प्रभाव से अपनी दूरी बनाए रखे। यह इंगित करता है कि साई विशेष राजनैतिक हितों के अनुसार कार्य नहीं करता है और ऐसा कार्य नहीं करने का आभास देता है। इसे लेखापरीक्षाओं के कार्यक्रम तैयार करने, योजना बनाने और संचालन करने में विधान मण्डल के निर्देशन के अधीन नहीं होना चाहिए।
- साई और कार्यपालक के बीच कुछ क्षेत्रों में सहयोग की स्थिति वांछनीय है। साई की रिपोर्ट प्रशासन की त्रुटियों पर ध्यान आकृष्ट करके और सुधारों की सिफारिश करने में कार्यपालक की सहायता करती है। साई को लेखाकरण मानक एवं नीतियों तथा वित्तीय विवरण तैयार करने जैसे मामलों में कार्यपालक को सलाह देने के लिए तैयार रहना चाहिए। साई को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सलाह देने में किसी स्पष्टवादी अथवा विवक्षित वाद से बचना चाहिए जो उसके लेखापरीक्षा अधिदेश की स्वतंत्र प्रक्रिया को हानि पहुँचाएगा। कार्यपालक के ऐसे कार्यों में भागीदारी से बचने पर ध्यान देना चाहिए जो साई की स्वतंत्रता एवं उसके कर्तव्य निर्वाह में वस्तुनिष्ठता के प्रति प्रतिकूलता लाएगा। इसमें साई के अपने अधिदेश के निष्पादन के संबंध में कार्यपालक का कोई निर्देशाधिकार नहीं होगा। साई को लेखापरीक्षा करने इसमें आशोधन करने अथवा लेखापरीक्षा करने से रोकने हेतु अथवा लेखापरीक्षा परिणामों, निष्कर्षों एवं सिफारिशों के उन्मूलन अथवा आशोधन हेतु बाध्य नहीं किया जाता है।
- साई को लेखापरीक्षित सत्ताओं से स्वतंत्र रहना चाहिए। लेखापरीक्षित सत्ता का साई के साथ एक ग्राहक संबंध में नहीं रहना होता है। इसमें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं उसके लेखापरीक्षकों के लिए लेखापरीक्षित सत्ताओं के सभी परिसरों एवं सुसंगत रिकार्डों एवं उनके प्रचालनों हेतु पूर्ण एवं मुक्त पहुँच हेतु कानूनी अधिदेश है और इस पर स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों अथवा सत्ताओं से संगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है। लेखापरीक्षित के साथ अच्छे संबंधों से सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थान को स्वतंत्र रूप और स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करने में और आपसी बातचीत एवं समझ के माहौल में चर्चा करने में मदद मिल सकती है। साई को लेखापरीक्षा राय बनाने में, निष्कर्ष

- The SAI works closely with the legislature, and must observe the laws enacted by the legislature but it is important that the SAI maintains his independence from political influence, in order to preserve an impartial approach to its audit responsibilities. This implies that the SAI not be responsive, nor give the appearance of being responsive, to the wishes of particular political interests. It should not be subject to direction by the legislature in the programming, planning and conduct of audits.
- A degree of cooperation between the SAI and the executive is desirable in some areas. SAI's reports assist the executive by drawing attention to the deficiencies in administration and recommending improvements. The SAI should be ready to advise the executive in such matters as accounting standards and policies and the form of financial statements. The SAI must ensure that in giving such advice it avoids any explicit or implied commitment that would impair the independent exercise of his audit mandate. Care should be taken to avoid participation in the executive's functions of the kind that would militate against the SAI's independence and objectivity in the discharge of his mandate. There shall be no power of direction by the executive in relation to the SAI's performance of his mandate. The SAI is not be obliged to carry out, modify or refrain from carrying out an audit or suppress or modify audit findings, conclusions and recommendations.
- The SAI must remain independent from audited entities. The audited entity is not in a client relationship with the SAI. There is legal mandate for full and free access for the CAG and his Auditors to all premises and records relevant to audited entities and their operations and provides adequate powers to the CAG to obtain relevant information from persons or entities possessing it. Good relationships with the auditee can help the SAI to obtain information freely and frankly and to conduct discussions in an atmosphere of mutual respect and understanding. The SAI has to discharge his mandate freely and impartially,

निकालने में और सिफारिशें करने में प्रबंधन के विचारों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से एवं स्पष्ट रूप से अपने अधिदेश का निर्वाह करना होता है, परन्तु की गई लेखापरीक्षाओं के विस्तार अथवा स्वरूप के लिए लेखापरीक्षित सत्ता के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नहीं है।

- साई शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग कर सकता है और व्यावसायिक निकायों के साथ औपचारिक संबंध बना सकता है, बशर्ते कि संबंध कुल मिलाकर व्यवसाय के अनुभवी सदस्यों की सलाह का लाभ लेने के क्रम में इसकी स्वतंत्रता एवं वस्तुनिष्ठता को अवरुद्ध न करें।
- लेखापरीक्षक और साई को अपेक्षित क्षमता रखनी चाहिए। चूंकि साई के कार्य एवं उत्तरदायित्व लोक उत्तरदायित्व की संकल्पना में निर्णायक है, इसलिए साई को अपनी उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षाओं, कार्यप्रणालियों और पद्धतियों को लागू करना चाहिए, जिसमें प्रणाली आधारित तकनीकियां, विश्लेषणात्मक पुनरीक्षा प्रणालियां, सांख्यिकीय सैम्पलिंग, और स्वचालित सूचना प्रणालियों की लेखापरीक्षा शामिल है।
- साई को साक्ष्य का उल्लेख करने, एकत्र करने तथा मूल्यांकन करने में और परिणामों, निष्कर्षों एवं सिफारिशों को बताने में सम्यक ध्यान देना चाहिए। साई को सत्ताओं एवं सार्वजनिक उद्यमों की अपनी लेखापरीक्षाओं में विषयपरक होना चाहिए तथा लेखापरीक्षा परिणामों के अपने मूल्यांकन में तथा इसकी सूचना देने में निष्पक्ष होना चाहिए। लेखापरीक्षकों को हालातों, कमियों पर नियंत्रण पाने, रिकार्ड रखने संबंधी अपर्याप्तताओं, त्रुटियों एवं असामान्य लेन- देनों अथवा परिणामों के संबंध में सतर्क किए जाने की आवश्यकता है, जो धोखाधड़ी, अनुचित अथवा गैरकानूनी अथवा सत्यनिष्ठा की कमी के निर्देशात्मक हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षक के कार्य के दौरान प्राप्त लेखापरीक्षित सत्ता के बारे में जानकारी को लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र से बाहर के प्रयोजनों और राय बनाने में अथवा लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों के अनुसार सूचना देने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा विभाग को लेखापरीक्षा मामलों और इसके लेखापरीक्षा कार्य से उद्भूत जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। तथापि, साई को कानून के विरुद्ध अपराधों की सूचना उचित अभियोजन हेतु प्राधिकारियों को देनी चाहिए।

taking management views into consideration in forming audit opinions, conclusions and recommendations, but owing no responsibility to the management of the audited entity for the scope or nature of the audits undertaken.

- The SAI may cooperate with academic institutions and enter formal relationships with professional bodies, provided the relationships do not inhibit its independence and objectivity, in order to avail of the advice of experienced members of the profession at large.
- The auditor and the SAI must possess the required competence. Since the duties and responsibilities of the SAI are crucial to the concept of public accountability, the SAI must apply to his audits, methodologies and practices of the highest quality including systems based techniques, analytical review methods, statistical sampling, and audit of automated information systems.
- The SAI should pay due care in specifying, gathering and evaluating evidence, and in reporting findings, conclusions and recommendations. The SAI must be, and be seen to be, objective in its audit of entities and public enterprises and should be fair in its evaluations and in its reporting the outcome of audits.
Auditors need to be alert for situations, control weaknesses, inadequacies in record keeping, errors and unusual transactions or results, which could be indicative of fraud, improper, or unlawful expenditure unauthorized operations, waste inefficiency or lack of probity.
- Information about an audited entity acquired in the course of the auditor's work must not be used for purposes outside the scope of an audit and the formation of an opinion or in reporting in accordance with the auditor's responsibilities. It is essential that the audit department maintain confidentiality regarding audit matters and information arising from its audit task. **However, the SAI should report offences against the law to proper prosecuting authorities.**

- साई में एक उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। इसे लेखापरीक्षा निष्पादन और परिणामों में सुधार लाने के क्रम में गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साई को निम्न हेतु प्रणालियां एवं पद्धतियां स्थापित करनी चाहिए:
 - इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं को संतोषप्रद रूप से प्रचालित किया गया है;
 - लेखापरीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए; और
 - सुधारों को सुरक्षित करने और कमियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए

लेखापरीक्षा विभाग द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता को आन्तरिक पुनरीक्षा को सुदृढ़ करके और इसके कार्य का स्वतंत्र मूल्यांकन करके बढ़ाया जा सकता है।

- साई को साई के भीतर उपलब्ध कौशलों एवं अनुभव के समर्थन में नीतियों एवं प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए तथा उन कौशलों की पहचान करनी चाहिए जो अविद्यमान है ; लेखापरीक्षण कार्यों को कौशलों का अच्छा संवितरण तथा लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को उपलब्ध कराना; और यथोचित ध्यान देने एवं दिलचस्पी दिखाने के अपेक्षित स्तर पर इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित योजना एवं देख-रेख करनी चाहिए।

2.3 सरकारी लेखापरीक्षण में क्षेत्रीय मानक

क्षेत्रीय मानक लेखापरीक्षा कार्य के संचालन एवं प्रबंधन हेतु ढांचा स्थापित करते हैं। क्षेत्रीय मानकों का प्रयोजन अर्थपूर्ण, व्यवस्थित एवं संतुलित उपायों अथवा कार्रवाईयों के लिए खाजिनका ले, परीक्षक को पालन करना है। मापदण्ड अथवा समग्र ढांचा स्थापित करना है,।

- लेखापरीक्षक को ऐसे तरीके में लेखापरीक्षा की योजना बनानी चाहिए, जो सुनिश्चित करती हो कि एक किफायती, दक्ष एवं कारगर तरीके में तथा समयोचित रूप में उच्च किस्म की लेखापरीक्षा की गई है।
- प्रत्येक स्तर पर लेखापरीक्षा स्टाफ के कार्य और लेखापरीक्षा चरण की लेखापरीक्षा के दौरान उचित रूप से निरीक्षण करना चाहिए, तथा लेखापरीक्षा स्टाफ के किसी वरिष्ठ सदस्य को प्रलेखित कार्य की समीक्षा करनी चाहिए।

- SAI should have an appropriate quality assurance system in place. It should pay particular attention to quality assurance programmes in order to improve audit performance and results. The SAI should establish systems and procedures to:
 - Confirm that internal quality assurance processes have operated satisfactorily;
 - Ensure the quality of the audit report; and
 - Secure improvements and avoid repetition of weaknesses.

The quality of the work done by the audit department can be enhanced by strengthening internal review and by the independent appraisal of its work.

- The SAI should adopt policies and procedures to support the skills and experience available within the SAI and identify those skills which are absent; provide a good distribution of skills to auditing tasks and a sufficient number of persons for the audit; and have proper planning and supervision to achieve its goals at the required level of due care and concern

2.3 Field standards in Government Auditing

The field standards establish the framework for conducting and managing audit work. The purpose of field standards is to establish the criteria or overall framework for the purposeful, systematic and balanced steps or actions that the auditor has to follow.

- The auditor should plan the audit in a manner, which ensures that an audit of high quality is carried out in an economic, efficient and effective way and in a timely manner.
- The work of the audit staff at each level and audit phase should be properly supervised during the audit, and a senior member of the audit staff should review documented work.

- लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा की सीमा एवं कार्यक्षेत्र को निर्धारित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण की विश्वसनीयता का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना चाहिए ।
- नियमितता (वित्तीय) लेखापरीक्षाओं के संचालन में त्रुटियों, अनियमितताओं तथा अवैध कृत्यों, जिनका वित्तीय विवरण पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, का पता लगाने का उचित आश्वासन देने के लिए अनुप्रयोज्य कानूनों एवं विनियमों के साथ अनुपालन की जांच की जानी चाहिए । लेखापरीक्षक को उन अवैध कृत्यों की संभावना के प्रति जागरूक होना चाहिए जिनका वित्तीय विवरणों तथा नियमितता लेखापरीक्षा के परिणामों पर अप्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है ।
- निष्पादन लेखापरीक्षा करते समय लेखापरीक्षा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुप्रयोज्य कानूनों और विनियमों के साथ अनुपालन का निर्धारण किया जाना चाहिए ।
- अनियमितता, गैर-कानूनी कृत्य, गबन अथवा त्रुटि का कोई भी संकेत दिखाई दे सकता है, जिसका लेखापरीक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, लेखापरीक्षक को ऐसे संदेहों की पुष्टि करने अथवा दूर करने के लिए प्रक्रियाओं का विस्तार करना चाहिए । नियमितता लेखापरीक्षा सरकारी लेखापरीक्षण का एक अनिवार्य पहलू है ।
- संगठन, कार्यक्रम, कार्यकलाप अथवा लेखापरीक्षाधीन कार्य के संबंध में लेखापरीक्षक के मूल्यांकन एवं निष्कर्षों के समर्थन में सक्षम, सुसंगत और उचित साक्ष्य प्राप्त करना चाहिए ।
- नियमितता (वित्तीय)लेखापरीक्षा में और अन्य प्रकार की लेखापरीक्षा में, जब भी अनुप्रयोज्य हो, लेखापरीक्षकों को यह स्थापित करने के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना चाहिए कि वित्तीय सूचना देने एवं प्रकटनों के लिए स्वीकार्य लेखाकरण मानकों का पालन किया जा रहा है कि नहीं । वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एक ऐसे धरातल में पूरा करना चाहिए कि वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए एक युक्तियुक्त आधार प्राप्त किया जाता हो ।

- The auditor, to determine the extent and scope of the audit, should study and evaluate the reliability of internal control.
- In conducting regularity (financial) audits, a test should be made of compliance, with applicable laws and regulations to provide reasonable assurance of detecting errors, irregularities and illegal acts that could have a direct and material effect on the financial statement. The auditor should be aware of the possibility of illegal acts that could have an indirect and material effect on the financial statements or results of regularity audit.
- In conducting performance audits, an assessment should be made of compliance with applicable laws and regulations to satisfy the audit objectives.
- Any indication that an irregularity, illegal act, fraud or error may have occurred which could have a material effect on the audit should cause the auditor to extend procedures to confirm or dispel such suspicions. The regularity audit is an essential aspect of Government auditing.
- Competent, relevant and reasonable evidence should be obtained to support the auditor's judgment and conclusions regarding the organisation, programme, activity or function under audit.
- In regularity (financial) audit and in other types of audit when applicable, auditors should analyse the financial statements to establish whether acceptable accounting standards for financial reporting and disclosures are complied with. Analysis of financial statements should be performed to such a degree that a rational basis is obtained to express an opinion on financial statements.

- लेखापरीक्षक को ऐसे तरीके में लेखापरीक्षा करनी चाहिए, जो सुनिश्चित करती हो कि एक किराया, दक्ष एवं कारगर तरीके में तथा एक समयोचित तरीके में उच्च किस्म की लेखापरीक्षा की जाती है। साई को किसी भी लेखापरीक्षा कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और साई के अधिदेश के भीतर विवेकाधीन क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण करना चाहिए। विशिष्ट लेखापरीक्षितियों की लेखापरीक्षा करते समय लेखापरीक्षक को निम्नलिखित करना चाहिए:
 - उस माहौल के महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान करनी चाहिए, जिनमें लेखापरीक्षित संस्था काम करती है;
 - जवाबदेयता संबंधों की समझ प्राप्त करनी चाहिए;
 - लेखापरीक्षा रायों, निष्कर्षों अथवा रिपोर्टों के रूप, विषयवस्तु एवं प्रयोगकर्ताओं पर विचार करना चाहिए;
 - लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक परीक्षणों का उल्लेख करना चाहिए;
 - मुख्य प्रबंधन प्रणालियों और नियंत्रणों की पहचान करनी चाहिए और उनकी शक्तियों एवं कमजोरियों, दोनों की पहचान करने के लिए प्रारम्भिक निर्धारण पूरा करना चाहिए; लेखापरीक्षित संस्था और इसके कार्यक्रम के आन्तरिक लेखापरीक्षा की समीक्षा करनी चाहिए;
 - आस्था की सीमा का निर्धारण करना चाहिए जो दूसरे लेखापरीक्षकों पर नियत हो, उदारहणार्थ आन्तरिक लेखापरीक्षा;
 - अति दक्ष एवं कारगर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण का निर्धारण करना चाहिए;
 - यह निर्धारित करने के लिए समीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए कि पूर्व में सूचित लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं सिफारिशों पर उचित कार्रवाई की गई है कि नहीं, और
 - लेखापरीक्षा योजना के लिए और प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्य के लिए उपयुक्त प्रलेखन की व्यवस्था करनी चाहिए।
- लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा संविदाओं अथवा अनुदान करारों (समझौतों) के प्रावधानों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरणों, जिनका वित्तीय विवरण राशियों के निर्धारण पर प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रभाव हो, का उचित आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित होनी चाहिए। यदि लेखापरीक्षक के ध्यान में विशेष जानकारी आती है, जो संभावित गैर-अनुपालन की मौजूदगी से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है, तो लेखापरीक्षकों को यह कि गैर-अनुपालन हुआ है कि नहीं, का पता लगाने के लिए विशेष रूप से निदेशित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए।

- The Auditor should plan the audit in a manner, which ensures that an audit of high quality is carried out in an economic, efficient and effective way and in a timely manner. The SAI should give priority to any audit tasks, which must be undertaken by law and assess priorities for discretionary areas within the SAI's mandate. In planning an audit of specific auditees, the auditor should:
 - Identify important aspects of the environment in which the audited entity operates;
 - Develop an understanding of the accountability relationships;
 - Consider the form, content and users of audit opinions, conclusions or reports;
 - Specify the audit objectives and the tests necessary to meet them;
 - Identify key management systems and controls and carry out a preliminary assessment to identify both their strengths and weaknesses;
 - Determine the materiality of matters to be considered;
 - Review the internal audit of the audited entity and its work programme;
 - Assess the extent of reliance that might be placed on other auditors, for example, internal audit;
 - Determine the most efficient and effective audit approach;
 - Provide for a review to determine whether appropriate action has been taken on previously reported audit findings and recommendations; and
 - Provide for appropriate documentation of the audit plan and for the proposed fieldwork.

- Auditors should design the audit to provide reasonable assurance of detecting material misstatements resulting from non-compliance with provisions of contracts or grant agreements that have a direct and material effect on the determination of financial statement amounts. If specific information comes to the auditor's attention that provides evidence concerning the existence of possible non-compliance that could have a material indirect effect on the financial statements, auditors should apply audit procedures, specifically directed to ascertaining whether that non-compliance has occurred.

- लेखापरीक्षा उद्देश्यों को पूरा करने और लेखापरीक्षा गुणवत्ता कार्य के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण अनिवार्य है। पर्यवेक्षण, वास्तविकता एवं लेखापरीक्षण विधि, दोनों के लिए निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए निदेशित होना चाहिए :
 - लेखापरीक्षा दल के सदस्यों को लेखापरीक्षा योजना की स्पष्ट और संगत समझ होनी चाहिए।
 - लेखापरीक्षा मानकों तथा साई की कार्यप्रणालियों के अनुसार लेखापरीक्षा का आयोजन किया जाता है।
 - उस योजना में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा योजना एवं कार्य उपायों का तब तक पालन किया जाता है, जब तक कि कोई व्यतिचलन प्राधिकृत हो;
 - कार्य पत्रों में सभी निष्कर्षों, सिफारिशों एवं विचारों का पर्याप्त रूप से समर्थन करने वाले साक्ष्य निहित होने चाहिए;
 - लेखापरीक्षक निर्धारित लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करता है; और
 - लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यथा- उपयुक्त निष्कर्ष, सिफारिशों एवं विचार शामिल होते हैं।

- समस्त लेखापरीक्षा कार्य की लेखापरीक्षा विचारों अथवा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले लेखापरीक्षा स्टाफ के किसी वरिष्ठ सदस्य द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। इसे लेखापरीक्षा प्रगतियों के प्रत्येक भाग के रूप में पूरा किया जाना चाहिए। समीक्षा एक से अधिक स्तर के अनुभव एवं मूल्यांकन को दर्शाता है और सुनिश्चित करना चाहिए कि ;
 - मूल्यांकन और निष्कर्ष ठोस रूप में आधारित है और अंतिम लेखापरीक्षा अथवा रिपोर्ट के लिए आधार के रूप में सक्षम, संगत एवं उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य से समर्थित है ;
 - सभी त्रुटियों, कमियों तथा असाधारण मामलों की समुचित पहचान की गयी हैं, प्रलेखित किए गए हैं और या तो संतोषजनक रूप से उसका हल किया जाता है या साई के कोई वरिष्ठ अधिकारी/ अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।
 - भावी लेखापरीक्षाओं के संचालन हेतु आवश्यक परिवर्तनों एवं सुधारों की पहचान की गई हो, रिकॉर्ड किए गए हो और परवर्ती लेखापरीक्षा योजनाओं एवं स्टाफ विकास कार्यक्रमों में ध्यान में रखा गया है।

- Supervision is essential to ensure the fulfilment of audit objectives and the maintenance of the quality of audit work. Supervision should be directed both to the substance and to the method of auditing to ensure that:
 - The members of the audit team have a clear and consistent understanding of the audit plan;
 - The audit is carried out in accordance with the auditing standards and practices of the SAI;
 - The audit plan and action steps specified in that plan are followed unless a variation is authorized;
 - Working papers contain evidence adequately supporting all conclusions recommendations and opinions;
 - The auditor achieves the stated audit objectives; and
 - The audit report includes the audit conclusions, recommendations and opinions, as appropriate.

- All audit work should be reviewed by a senior member of the audit staff before the audit opinions or reports are finalized. It should be carried out as each part of the audit progresses. Review brings more than one level of experience and judgment to the audit task and should ensure that;
 - All evaluations and conclusions are soundly based and are supported by competent, relevant and reasonable audit evidence as the foundation for the final audit opinion or report;
 - All errors, deficiencies and unusual matters have been properly identified, documented and either satisfactorily resolved or brought to the attention of a more senior SAI officer (s); and

- Changes and improvements necessary to the conduct of future audits are identified, recorded and taken into account in later audit plans and in staff development activities.

- लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा की सीमा एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण करते समय आन्तरिक नियंत्रण की विश्वसनीयता का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना चाहिए। आन्तरिक नियंत्रण का अध्ययन एवं मूल्यांकन, की जाने वाली लेखापरीक्षा की किस्म के अनुसार किए जाने चाहिए। नियमितता (वित्तीय) लेखापरीक्षा के मामले में अध्ययन एवं मूल्यांकन मुख्यतया उन कंट्रोलों के संबंध में किए जाते हैं, जो परिसम्पत्तियों एवं संसाधनों की रक्षा करने में मदद करते हैं, और लेखाकरण रिकॉर्डों की उपयुक्तता एवं परिपूर्णता को सुनिश्चित करते हैं। नियमितता (अनुपालन) लेखापरीक्षा के मामले में अध्ययन एवं मूल्यांकन मुख्य रूप से उन कंट्रोलों के संबंध में किए जाते हैं, जो कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन में प्रबंधन की मदद करते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले में, वे उन कंट्रोलों पर किए जाते हैं, जो प्रबंधन की नीतियों का पालन करते हुए लेखापरीक्षित संस्था के व्यवसाय को एक किफायती, दक्ष एवं कारगर तरीके से संचालन करने में मदद करते हैं एवं सामयिक एवं विश्वासयोग्य वित्तीय एवं प्रबंधन जानकारी प्रस्तुत करते हैं।
- संगठन, कार्यक्रम, कार्यकलाप अथवा लेखापरीक्षाधीन कार्य के संबंध में लेखापरीक्षक के मूल्यांकन एवं निष्कर्षों के समर्थन में सक्षम, संगत और उचित साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। लेखापरीक्षा परिणाम, निष्कर्ष एवं सिफारिश साक्ष्य पर आधारित हो। चूंकि लेखापरीक्षकों के पास कभी-कभार ही लेखापरीक्षित संस्था के बारे में समस्त जानकारी पर विचार करने का अवसर होता है, यह महत्वपूर्ण है कि डाटा संग्रहण एवं सैम्पलिंग तकनीकों का चयन सावधानीपूर्ण किया जाता है। जब कंप्यूटर आधारित सिस्टम आंकड़े, लेखापरीक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा हो और डाटा की विश्वसनीयता लेखापरीक्षा उद्देश्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हो तो लेखापरीक्षकों को अपने आप को संतुष्ट करने की जरूरत है कि डाटा विश्वसनीय और सुसंगत है। दृष्टिकोणों एवं प्रक्रियाओं का चयन करते समय साक्ष्य की गुणवत्ता पर विचार करना चाहिए अर्थात् साक्ष्य सक्षम, संगत, उचित हो तथा जहां तक संभव हो सीधे हो ताकि किए जाने वाले अनुमानों की जरूरत को कम कर सके।

- The auditor, in determining the extent and scope of the audit, should study and evaluate the reliability of internal control. The study and evaluation of internal control should be carried out according to the type of audit undertaken. In the case of regularity (financial) audit, study and evaluation are made mainly on controls that assist in safeguarding assets and resources, and assure the accuracy and completeness of accounting records. In the case of regularity (compliance) audit, study and evaluation are made mainly on controls that assist management in complying with laws and regulations. In the case of performance audit they are made on controls that assist in conducting the business of the audited entity in an economic, efficient and effective manner, ensuring adherence to management policies, and producing timely and reliable financial and management information.

- Competent, relevant and reasonable evidence should be obtained to support the auditor's judgment and conclusions regarding the Organisation, Programme, activity or function under audit. The audit findings, conclusions, and recommendations must be based on evidence. Since auditors seldom have the opportunity of considering all information about the audited entity, it is crucial that the data collection and sampling techniques are carefully chosen. When computer based system data are an important part of the audit and the data reliability is crucial to accomplishing the audit objective, auditors need to satisfy themselves that the data are reliable and relevant. In choosing approaches and procedures, consideration should be given to the quality of evidence, ie the evidence should be competent, relevant, reasonable and as direct as possible so as to reduce the need for inferences to be made.

- लेखापरीक्षकों को योजना के आधार एवं सीमा, निष्पादित कार्य और लेखापरीक्षा के निष्कर्षों सहित कार्य पत्रों में लेखापरीक्षा साक्ष्य का उपयुक्त रूप से प्रलेख करना चाहिए। कार्य पत्र में पर्याप्त जानकारी निहित होनी चाहिए ताकि अनुभवी लेखापरीक्षक जिसका लेखापरीक्षा के साथ कोई पूर्व संबंध नहीं है, उनसे वह साक्ष्य अभिनिश्चित करने में सक्षम हो जो लेखापरीक्षक के महत्वपूर्ण निर्णयों एवं निष्कर्षों का समर्थन करता हो। कार्य पत्र की विषयवस्तु और व्यवस्था लेखापरीक्षक की प्रवीणता, अनुभव एवं ज्ञान की कोटि को दर्शाता है।
- जहां साई को बजटीय कानूनों के निष्पादन पर रिपोर्ट देना अपेक्षित हो, वहां लेखापरीक्षा में निम्न शामिल होना चाहिए:
 - राजस्व लेखों के लिए यह पता लगाना कि पूर्वानुमान उस प्रारम्भिक बजट के हैं कि नहीं, और यह कि करों, दरों एवं रिकॉर्ड किए गए शुल्कों एवं आरोपित प्राप्तियों की लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षित क्रियाकलाप के वार्षिक वित्तीय विवरणों से मिलान करके पूरा किया जा सकता है;
 - व्यय लेखों के लिए, बजटों, समायोजन कानूनों में मदद करने वाले क्रेडिटों तथा अग्रेयनों के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के वित्तीय विवरणों की जांच करना।
- जहां, साई से प्रणाली अध्ययन एवं राजस्व / प्राप्तियों की वसूली विश्लेषण के साथ कर प्रशासन प्रणालियों अथवा गैर कर प्राप्तियों की वसूली संबंधी प्रणालियों के संबंध में सूचित करना अपेक्षित है, वहां निर्धारण एवं वसूली, दोनों में अलग – अलग त्रुटियों के संबंध में लेखापरीक्षा दावों और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी कार्यकुशलता पर टिप्पणी को उजागर करने के लिए आवश्यक है।

2.4 रिपोर्टिंग मानक

लेखापरीक्षा सूचना देने की प्रक्रिया किसी कार्यालय अथवा विभाग के प्रमुख को जिसकी लेखापरीक्षा , लेखा ,की गई है परीक्षा टिप्पणियों पर उत्तर एवं स्पष्टीकरण टिप्पणियां प्रस्तुत करने के अनुरोध / के साथ निरीक्षण रिपोर्ट करने से शुरु होती है। प्राप्त उत्तरों स्पष्टीकरणों की सत्य /ता एवं प्रासंगिकता तथा निरीक्षण रिपोर्टों में टिप्पणियों की वस्तुपरकता पर निर्भर करते हुए संबंधित विधानमण्डल में रखे जाने हेतु ,साई द्वारा प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करने लिए इनका अतिरिक्त संसाधन किया जाता है।

- Auditors should adequately document the audit evidence in working papers, including the basis and extent of the planning, work performed and the findings of the audit. Working papers should contain sufficient information to enable an experienced auditor having no previous connection with the audit to ascertain from them the evidence that supports the auditor's significant findings and conclusions. The content and arrangement of the working papers reflect the degree of the auditor's proficiency, experience and knowledge.
- Where SAI is required to report on the execution of budgetary laws, the audit should include:
 - For revenue accounts, ascertaining whether forecasts are those of the initial budget, and whether the audits of taxes, rates and duties recorded and imputed receipts can be carried out by comparison with the annual financial statements of the audited activity;
 - For expenditure accounts, verifying credits to assist budgets, adjustment laws and, for carryovers, the previous year's financial statements.
- Where the SAI is required to report on systems of tax administration or systems for realizing non tax receipts, along with a systems study and analysis of realization of revenues/receipts, detection of individual errors in both assessment and collection is essential to highlight audit assertions regarding the system defects and comment on their efficiency to ensure compliance.

2.4 Reporting standards

The audit reporting process begins with submission of an Inspection Report to the Head of any Office or Department which has been audited with a request to submit replies and clarifications/comments on the audit observations. Depending on the veracity and relevance of replies/clarifications received and the materiality of the observations in the Inspection Reports, these are further processed for reporting in the Audit Report submitted by the SAI for being placed in the concerned legislature.

- सौंपे गए प्रत्येक लेखापरीक्षा कार्य के पूरा होने पर लेखापरीक्षक को उपयुक्त फॉर्म में लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं निष्कर्षों को दर्शाते हुए एक लिखित रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए ; इसका अंतर्वस्तु समझने में आसान, अनेकार्थकता से मुक्त तथा पर्याप्त, सक्षम और संगत लेखापरीक्षा साक्ष्य से समर्थित और स्वतंत्र, उद्देश्यपरक, उचित, पूर्ण, सही, रचनात्मक एवं संक्षिप्त होना चाहिए ।
- वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक को वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षित संस्था की वित्तीय स्थिति के स्पष्ट प्रस्तुतीकरण पर राय व्यक्त करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए ।
- लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाई गई अथवा लेखापरीक्षा द्वारा की गई जांच में कपटपूर्ण पद्धति अथवा गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एक लिखित रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए । इस रिपोर्ट में लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र, मुख्य निष्कर्षों, अंतर्ग्रस्त कुल राशि, जालसाजी अथवा अनियमितता की कार्यप्रणाली, इसके संबंध में जवाबदेही और आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के सुधार हेतु सिफारिशों, जालसाजी को रोकने, तथा जालसाजी / गम्भीर वित्तीय अनियमितता की पुनरावृत्ति के प्रति रक्षोपाय हेतु पता लगाने के उपायों को इंगित करना चाहिए ।
- धन लेखापरीक्षा हेतु मूल्य निष्पादन के संबंध में रिपोर्ट में लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं विस्तार का विवरण, लेखापरीक्षा का उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र, उस क्षेत्र (विषय-वस्तु) की दक्षता, मितव्ययिता और प्रभावकारिता (प्रभाव सहित) पहलुओं के संबंध में मुख्य निष्कर्ष, जिनकी लेखापरीक्षा की गई थी और सुधारों हेतु सुझाव देने वाली सिफारिशें, जो आवश्यक हों, शामिल होना चाहिए ।
- नियमितता लेखापरीक्षाओं के संबंध में, लेखापरीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, जो या तो धन लेखापरीक्षा संबंधी मूल्य के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट का एक भाग हो सकती है, या फिर अनुप्रयोजन कानूनों एवं विनियमनों के अनुपालन की जांचों पर एक अलग रिपोर्ट हो सकती है । रिपोर्ट में आश्वासन की प्रकृति अर्थात् जांचों से प्राप्त किए गए सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रकृति को दर्शाने के लिए जांचों के परिणामों पर एक विवरण शामिल होना चाहिए ।
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट को निम्न रूप में होना चाहिए -

- On the completion of each audit assignment, the Auditor should prepare a written report setting out the audit observations and conclusions in an appropriate form; its content should be easy to understand, free from ambiguity and supported by sufficient, competent and relevant audit evidence and be independent, objective, fair, complete, accurate, constructive and concise.
- With regard to audit of financial statements, the auditor should prepare a report expressing opinion on the fair presentation of the financial position of the audited entity in the financial statement.
- With regard to fraudulent practice or serious financial irregularities detected during audit or examined by audit, a written report should be prepared. This report should indicate the scope of audit, main findings, total amount involved, modus operandi of the fraud or the irregularity, accountability for the same and recommendations for improvement of internal control system, fraud prevention and detection measures to safeguard against recurrence of fraud/serious financial irregularity.
- With regard to Performance of Value for Money Audit the report should include a description of the scope and coverage of audit, objective of audit, area of audit, main findings in respect of the efficiency, economy and effectiveness (including impact) aspects of the area (subject matter) which was audited and recommendations suggesting the improvements that are needed.
- With regard to regularity audits, the auditor should prepare a written report which may either be a part of the report on the financial statements of the value for money audit or a separate report on the tests of compliance of applicable laws and regulations. The report should contain a statement on the results of the tests to indicate the nature of assurance ie positive or negative obtained from the tests.
- The audit report should be:

- **परिपूर्ण :** रिपोर्ट में लेखापरीक्षा उद्देश्यों को पूरा करने और सूचित मामले की उपयुक्त एवं सही समझ बढ़ाने के लिए आवश्यक समस्त प्रासंगिक जानकारी होनी चाहिए। इसमें उपयुक्त पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।
- **यथार्थता :** प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को सही होना चाहिए और निष्कर्षों का सही रूप में वर्णन होना चाहिए। निष्कर्षों को साक्ष्य से उत्सर्जित होना चाहिए। अधिकांश मामलों में किसी व्यापक निष्कर्ष अथवा संबंधित सिफारिश के समर्थन में कमी का एकल उदाहरण पर्याप्त नहीं होता है। रिपोर्ट में केवल जानकारी, निष्कर्ष और परिणाम शामिल होने चाहिए, जो लेखापरीक्षक के आधार पत्र में सक्षम एवं संगत साक्ष्य से समर्थित हों। सूचित साक्ष्य को सूचित मामलों की परिशुद्धता एवं उपयुक्तता का प्रदर्शित करना चाहिए। तथापि, जो आवश्यक हो, उसे छोड़कर, विस्तृत समर्थनकारी डाटा को रिपोर्ट में शामिल करने की जरूरत नहीं है।
- **सही निरूपण :** रिपोर्ट लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली तथा परिणामों एवं निष्कर्षों के प्रस्तुतीकरण को ऐसे तरीके में सही रूप में दर्शाएगा जो लेखापरीक्षा कार्य के कार्यक्षेत्र के सुसंगत हो।
- **वस्तुनिष्ठता :** लेखापरीक्षा रिपोर्ट निष्पक्ष होनी चाहिए और भ्रामक नहीं होनी चाहिए तथा लेखापरीक्षा परिणामों के उचित परिप्रेक्ष्य में दर्शाने वाली होना चाहिए। इसका तात्पर्य लेखापरीक्षा परिणामों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना और अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति के प्रति निगरानी रखना अथवा अपूर्ण निष्पादन पर अधिक जोर देना है। निष्पादन में कमियों का वर्णन करते समय लेखापरीक्षक को लेखापरीक्षित संस्था के स्पष्टीकरण को दर्शाना चाहिए और विचलन के पथभ्रष्ट दृष्टान्तों को व्यापक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रिपोर्टों का भाव न्याय-निर्णायकों को लेखापरीक्षक के परिणामों एवं सिफारिशों पर क्रिया करने में प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। यद्यपि, परिणामों को स्पष्ट रूप से और पाक्षिक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, लेखापरीक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि उद्देश्यों में से एक उद्देश्य इसका अनुशीलन करना है और यह उस भाषा से बचकर बेहतर हो सकता है जो रक्षात्मकता एवं प्रतिरोध पैदा करती है।

Complete: The report should contain all pertinent information needed to satisfy the audit objectives, and to promote an adequate and correct understanding of the matter reported. It also means including appropriate background information.

Accuracy: The evidence presented should be true and the conclusions be correctly portrayed. The conclusions should flow from the evidence. In most cases a single example of a deficiency is not sufficient to support a broad conclusion or a related recommendation. The report should include only information, findings and conclusions that are supported by competent and relevant evidence in the auditor's working papers. Reported evidence should demonstrate the correctness and reasonableness of the matters reported. However, except as necessary, detailed supporting data need not be included in the report.

Correct portrayal: the report shall portray accurately the audit scope and methodology and presenting findings and conclusions in a manner consistent with the scope of audit work.

Objectivity: The audit report should be fair and not be misleading and should place the audit results in proper perspective. This means presenting the audit results impartially and guarding against the tendency to exaggerate or over emphasis deficient performance. In describing shortcomings in performance, the auditor should present the explanation of the audited entity and stray instances of deviation should not be used to reach broad conclusions. The tone of reports should encourage decision makers to act on the auditor's findings and recommendations. Although findings should be presented clearly and forthrightly, the auditor should keep in mind that one of the objectives is to persuade and this can best be done by avoiding language that generate defensiveness and opposition.

- **निश्चयात्मकता :** लेखापरीक्षा परिणाम को प्रत्यायक रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है तथा बाद में निष्कर्षों एवं सिफारिशों को प्रस्तुत किए गए तथ्यों से युक्तियुक्त रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तुत की गई सूचना को परिणामों की वैधता को और लेखापरीक्षा निष्कर्षों की उपयुक्तता की पहचानने हेतु पाठकों को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।
 - **स्पष्टता :** रिपोर्ट को पढ़ने और समझने में सहज होना चाहिए। गैर- तकनीकी भाषा का प्रयोग अनिवार्य है। जहां कहीं भी तकनीकी शब्दों और अपरिचित संक्षेपाक्षरों का प्रयोग किया गया हो, वहां उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। सामग्री का युक्तियुक्त व्यवस्थीकरण तथा तथ्यों को बताने में एवं निष्कर्षों को तैयार करने में स्पष्टता, दोनों स्पष्टता एवं समझ में सार्थक रूप से सहयोग देते हैं।
 - **संक्षिप्त :** रिपोर्ट को लेखापरीक्षा राय एवं निष्कर्षों को व्यक्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक लम्बा बनाने की जरूरत नहीं है। अधिक विस्तृत ब्यौरों को रिपोर्ट से हटाना चाहिए और यह लेखापरीक्षा राय एवं निष्कर्षों में छिपाव लाता है तथा पाठकों को भ्रमित करता है।
 - **रचनात्मक :** रिपोर्ट में सुविचारित सुझावों को सुधार हेतु न कि उन्हें समझने के लिए व्यापक शब्दों में भी शामिल करना चाहिए। सुझावों को प्रस्तुत करने में नियमों एवं आदेशों की अपेक्षाओं, प्रचालनात्मक बाधाओं और प्रचलित परिवेश पर सम्यक ध्यान देना चाहिए.
 - **समयबद्धता:** लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सभी प्रयोगकर्ताओं के लिए, विशेष रूप से लेखापरीक्षिति संगठनों और /अथवा सरकार के लिए इष्टतम इस्तेमाल किए जाने हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिन्हें अपेक्षित कार्रवाई करनी होती है।
- लेखापरीक्षकों को, उन कमियों को, जिन्हें वे बताए जाने योग्य अवस्था में समझते हैं, आंतरिक कंट्रोल में सूचित करना चाहिए। निम्नलिखित, उन मामलों के उदाहरण हैं, जो उल्लेखनीय स्थितियों में हो सकते हैं।
- उपयुक्त कंट्रोल उद्देश्यों के सुसंगत कार्यों का उपयुक्त वियोजन न होना;

Convincing: The audit result requires to be presented persuasively and the conclusions and recommendations followed logically from the facts presented. The information presented should be sufficient to convince the readers to recognize the validity of the findings and reasonableness of audit conclusions.

Clarity: The report should be easy to read and understand. Use of non-technical language is essential. Wherever technical terms and unfamiliar abbreviations are used, they should be clearly defined. Both logical organisation of the material and precision in stating the facts and in drawing conclusions significantly contribute to clarity and understanding.

Concise: The report requires to be not longer than necessary to convey the audit opinion and conclusions. Too much of details detracts from the report and conceals the audit opinion and conclusions and confuses the readers.

Constructive: The report should also include well thought out suggestions, in broad terms, for improvements, rather than how to achieve them. In presenting the suggestions due regard should be paid to the requirements of rules and orders, operational constraints and the prevailing milieu.

Timeliness: The audit report should be made available promptly to be of utmost use to all users, particularly to the auditee organizations and/or Government who have to take requisite actions.

- Auditors should report deficiencies in internal control that they consider to be reportable conditions. The following are examples of matters that may be reportable conditions.
 - Absence of appropriate segregation of duties consistent with appropriate control objectives;

- लेन-देनों, लेखाकरण प्रविष्टियों अथवा प्रणाली उत्पाद की उपयुक्त समीक्षाओं एवं अनुमोदनों का न होना;
- परिसम्पत्तियों के रक्षोपाय हेतु अपर्याप्त प्रावधान;
- परिसम्पत्तियों को क्षति, नुकसान अथवा दुरुपयोग से बचाने में असफल रहने का साक्ष्य;
- साक्ष्य, यह कि प्रणाली कंट्रोल प्रक्रियाओं के दुरुपयोग के कारण लेखापरीक्षित के कंट्रोल उद्देश्यों से प्रासंगिक पूर्ण एवं सही परिणाम उपलब्ध कराने में असफल रहती है ;
- उनके द्वारा प्रणाली की समग्र उद्देश्यों को नुकसान पहुंचाने में आन्तरिक कंट्रोल के जानबूझकर दमन का साक्ष्य ;
- उन कार्यों को पूरा करने में असफल रहने के साक्ष्य, जो आन्तरिक कंट्रोल के भाग हैं, जैसे कि तैयार नहीं किए गए अथवा समय पर तैयार नहीं किए गए लेखा समाधान ;
- संगठन के भीतर पर्याप्त स्तर के कंट्रोल अवचेतना का अभाव;
- आन्तरिक कंट्रोल के ढांचे अथवा प्रचालन की महत्वपूर्ण कमियां, जिससे उन कानूनों एवं विनियमनों का उल्लंघन हो सकता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रभाव हो, और
- आन्तरिक कंट्रोल में पहले से अभिज्ञात कमियों के अनुवर्तन एवं सुधार में असफल रहना

2.5 लेखापरीक्षा राय एवं रिपोर्ट का आकार एवं अंतर्वस्तु

सभी लेखापरीक्षा रायों एवं रिपोर्टों का आकार एवं अंतर्वस्तु निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों पर आधारित होता है :

शीर्षक राय अथवा रिपोर्ट को उपयुक्त नाम अथवा शीर्षक से आरम्भ करना चाहिए ।

हस्ताक्षर एवं तारीख अभिमत अथवा रिपोर्ट उचित रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

- Absence of appropriate reviews and approvals of transactions, accounting entries or systems output;
- Inadequate provisions for the safeguarding of assets;
- Evidence of failure to safeguard assets from loss, damage or misappropriation;
- Evidence that a system fails to provide complete and accurate output consistent with the auditee's control objectives because of the misapplication of control procedures;
- Evidence of intentional override of internal control by those in authority to the detriment of the overall objectives of the system;
- Evidence of failure to perform tasks that are part of internal control, such as reconciliation not prepared or not timely prepared;
- Absence of a sufficient level of control consciousness within the organization;
 - Significant deficiencies in the design or operation of internal control that could result in violations of laws and regulations having a direct and material effect on the financial statements and
- Failure to follow up and correct previously identified deficiencies in internal control.

2.5 The form and content of audit opinion and report

The form and content of all audit opinions and reports are founded on the following general principles:

Title. The opinion or report should be preceded by a suitable title or heading

Signature and date. The opinion or report should be properly signed.

उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र अभिमत अथवा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र का संदर्भ शामिल होना चाहिए। यह जानकारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन एवं सीमाओं को स्थापित करती है।

परिपूर्णता अभिमत को उन वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न एवं प्रकाशित करना चाहिए जिससे वे संबंधित हैं, परन्तु निष्पादन रिपोर्टों को अलग से प्रकाशित किया जा सकता है। लेखापरीक्षक के अभिमतों एवं रिपोर्टों को लेखापरीक्षक द्वारा तैयार की गयी रिपोर्टों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रेषिति अभिमत अथवा रिपोर्ट में उसी का उल्लेख होना चाहिए जिन्हें इसे भेजा जाता है, जैसा कि लेखापरीक्षा व्यवस्थापन एवं स्थानीय विनियमनों अथवा पद्धति की परिस्थितियों से अपेक्षित है। यह वहां अनावश्यक है जहां इसके निष्पादन के लिए औपचारिक प्रक्रियाएं विद्यमान हों।

विषय-वस्तु की पहचान अभिमत अथवा रिपोर्ट में उन वित्तीय विवरणों (नियमितता (वित्तीय) लेखापरीक्षा के मामले में) अथवा क्षेत्र (निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले में) का उल्लेख होना चाहिए जिससे यह संबंधित है। इसमें जानकारी शामिल होती है, जैसे कि लेखापरीक्षित संस्था का नाम, तारीख एवं वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अवधि तथा विषय – वस्तु, जिसकी लेखापरीक्षा की गई हो।

कानूनी आधार लेखापरीक्षा अभिमतों एवं रिपोर्टों में लेखापरीक्षा की व्यवस्था देने वाले विधान अथवा अन्य प्राधिकार का उल्लेख होना चाहिए।

मानकों का अनुपालन लेखापरीक्षा अभिमतों एवं रिपोर्टों में लेखापरीक्षा करने में अपनाई गई लेखापरीक्षण मानकों अथवा पद्धतियों को इंगित करना चाहिए, इस प्रकार यह पाठक को आश्वासन देता है कि लेखापरीक्षा सामान्य रूप से स्वीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार की गई है।

समयबद्धता लेखापरीक्षा अभिमत अथवा रिपोर्ट को पाठकों और प्रयोगकर्ताओं के लिए अधिकतम इस्तेमाल किए जाने हेतु शीघ्र उपलब्ध होना चाहिए, विशेष रूप से उनके लिए, जिन्हें इस पर आवश्यक कार्रवाई करनी है।

Objectives and scope. The opinion or report should include reference to the objectives and scope of the audit. This information establishes the purpose and boundaries of the audit

Completeness. The opinions should be appended to and published with the financial statements to which they relate, but performance reports may be free standing. The auditor's opinions and reports should be presented as prepared by the auditor.

Addressee. The opinion or report should identify those to whom it is addressed, as required by the circumstances of the audit engagement and local regulations or practice. This is unnecessary where formal procedures exist for its delivery.

Identification of subject matter. The opinion or report should identify the financial statements (in the case of regularity (financial) audits) or area (in the case of performance audits) to which it relates. This includes information such as the name of the audited entity, the date and period covered by the financial statements and the subject matter that has been audited.

Legal basis. Audit opinions and reports should identify the legislation or other authority providing for the audit.

Compliance with standards. Audit opinions and reports should indicate the auditing standards or practices followed in conducting the audit, thus providing the reader with an assurance that the audit has been carried out in accordance with generally accepted procedures.

Timeliness. The audit opinion or report should be available promptly to be of greatest use to readers and users, particularly those who have to take necessary action.

प्रतिकूल राय जहां लेखापरीक्षक असहमति के कारण पूर्ण रूप से वित्तीय विवरणों पर राय देने में असमर्थ हो, जो इतनी मौलिक हो कि यह प्रस्तुत की गई स्थिति को इस सीमा तक कमजोर करता है कि अभिमत, जो कुछेक संदर्भों में सापेक्ष है, पर्याप्त नहीं होगी, वहां प्रतिकूल राय दी जाती है। इस तरह की राय-शैली स्पष्ट करती है कि वित्तीय विवरण, असहमति के सभी मामलों को स्पष्ट रूप से और संक्षेप में उल्लेख करते हुए स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, यह सहायक होता, यदि वित्तीय विवरणों पर वित्तीय प्रभाव, जहां सुसंगत एवं व्यवहार्य है, अधिप्रमाणित हो।

अभिमत का अस्वीकरण जहां लेखापरीक्षक अनिश्चितता अथवा विस्तार प्रतिबंध के कारण वित्तीय विवरणों में पूर्णतया किसी राय पर पहुंचने पर असमर्थ हो, जो इतने मूलभूत हों कि अभिमत, जो कई संदर्भों में सापेक्ष है, पर्याप्त नहीं होंगे, तो अभिमत का अस्वीकरण किया जाता है। इस तरह के अस्वीकरण की शैली स्पष्ट करती है कि अभिमत, अनिश्चितता के सभी मामलों का स्पष्ट रूप से एवं संक्षेप में उल्लेख करते हुए व्यक्त नहीं किया जा सकता।

नियमितता लेखापरीक्षाएं अवसर अपेक्षा करती हैं कि रिपोर्टें वहां तैयार की जाती हैं जहां कमियां वित्तीय कंट्रोल अथवा लेखाकरण (जैसा कि निष्पादन लेखापरीक्षा पहलुओं से स्पष्ट है) की प्रणालियों में मौजूद हैं। यह सिर्फ वहां घटित नहीं होते हैं, जहां कमियां लेखापरीक्षित संस्था की अपनी प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं, बल्कि वहां भी घटित होती है, जहां वे दूसरे के कार्यकलापों पर इसके कंट्रोलों से संबंधित होते हैं। लेखापरीक्षक को महत्वपूर्ण अनियमितताओं पर भी सूचना देनी चाहिए, चाहे वे महसूस किए गए हो अथवा संभावित, जो चाहे विनियमनों के अनुप्रयोग की असंगतता पर हों अथवा धोखाधड़ी एवं भ्रष्ट पद्धतियों के संबंध में हों। गैर-अनुपालन का विस्तार मौद्रिक रूप से परीक्षित अथवा अधिप्रमाणित कई मामलों से संबंधित हो सकता है। अनियमितताओं के संबंध में रिपोर्टें लेखापरीक्षक की राय के सापेक्षिक महत्व पर ध्यान दिए बगैर तैयार की जा सकती हैं। अपने स्वरूप से वे महत्वपूर्ण समालोचनाओं वाले हो सकते हैं, परन्तु रचनात्मक होने के क्रम में, उन्हें निष्कर्षों अथवा लेखापरीक्षक द्वारा विवरणों को शामिल करके आगामी उपचारी कार्रवाई को पूरा करने वाले भी होने चाहिए।

निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों एवं कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। रिपोर्ट में समीक्षा (अर्थात् जहां, जन हित में अथवा सार्वजनिक उत्तरदायित्व के आधार पर गम्भीर बर्बादी के, फिजूलखर्ची के अथवा अकार्यकुशलता के मामलों पर ध्यान आकृष्ट किया गया हो) अथवा महत्वपूर्ण समीक्षा नहीं की जा सकती है, परन्तु इस संबंध में स्वतंत्र जानकारी, सलाह अथवा आश्वासन दिया जा सकता है, कि मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावकारिता को काफी हद तक प्राप्त किया जा रहा है अथवा प्राप्त किया गया है।

Adverse opinion. Where the auditor is unable to form an opinion on the financial statements taken as a whole due to disagreement which is so fundamental that it undermines the position presented to the extent that an opinion which is qualified in certain respects would not be adequate, an adverse opinion is given. The wording of such an opinion makes clear that the financial statements are not fairly stated, specifying clearly and concisely all the matters of disagreement. Again, it is helpful if the financial effect on the financial statements is quantified where relevant and practicable.

Disclaimer of opinion. Where the auditor is unable to arrive at an opinion regarding the financial statements taken as a whole due to an uncertainty or scope restriction that is so fundamental that an opinion, which is qualified in certain respects, would not be adequate, a disclaimer is given. The wording of such a disclaimer makes clear that an opinion cannot be given, specifying clearly and concisely all matters of uncertainty.

Regularity audits often require that reports are made where weaknesses exist in systems of financial control or accounting (as distinct from performance audit aspects). This may occur not only where weaknesses affect the audited entity's own procedures but also where they relate to its control over the activities of others. The auditor should also report on significant irregularities, whether perceived or potential, on inconsistency of application of regulations or on fraud and corrupt practices. The extent of non-compliance can be related to the number of cases examined or quantified monetarily. Reports on irregularities may be prepared irrespective of a qualification of the auditor's opinion. By their nature they tend to contain significant criticisms, but in order to be constructive they should also address future remedial action by incorporating statements by the audited entity or by the auditor, including conclusions or recommendations.

The performance audit report should state clearly the objectives and scope of the audit. Reports may include criticism (e.g where, in the public interest or on grounds of public accountability, matters of serious waste, extravagance or inefficiency are drawn to attention) or may make no significant criticism but give independent information, advice or assurance as to whether and to what extent economy, efficiency and effectiveness are being or have been achieved.

लेखापरीक्षक से सामान्य तौर पर किसी लेखापरीक्षित संस्था की मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावकारिता की उपलब्धि पर समग्र राय उसी रूप में उपलब्ध कराने की आशा नहीं की जाती है जैसा कि वह वित्तीय विवरणों पर देता है। जहां लेखापरीक्षा की प्रकृति संस्था के कार्यकलापों के विशिष्ट क्षेत्रों के संबंध में ऐसा किए जाने की अनुमति देती है, वहां लेखापरीक्षक को ऐसी रिपोर्ट उपलब्ध करनी चाहिए, जो परिस्थितियों को दर्शाती हो और मानकीकृत विवरण देने की बजाय एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचता है। जहां लेखापरीक्षा यह विचार करने तक सीमित हो कि मितव्ययिता, दक्षता अथवा प्रभावकारिता को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त कंट्रोल मौजूद हैं, तो लेखापरीक्षक अति सामान्य राय उपलब्ध करा सकता है।

लेखापरीक्षकों को स्वीकार करना चाहिए कि उनके मूल्यांकन को पिछले प्रबंधन निर्णयों के कारण कार्रवाईयों में लागू किया जा रहा है। इसलिए ऐसा मूल्यांकन करने में सावधानी बरती जानी चाहिए और रिपोर्ट में लेखापरीक्षित संस्था के उपलब्ध जानकारी के (अथवा जिसे उपलब्ध कराया जाना था) स्वरूप एवं सीमा को निर्णय लेते समय उचित रूप से इंगित करना चाहिए। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों एवं निष्कर्षों के कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए पाठक के लिए रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि लेखापरीक्षक निष्पक्ष है। निष्पक्षता में कमी अथवा आलोचनात्मक परिणामों का प्रस्तुतीकरण भी इस निहित होता है, ताकि सुधार किया जा सके और लेखापरीक्षित संस्था के भीतर प्रणालियों एवं निर्देशन में सुधार लाया जा सके। तदनुसार, तथ्य सामान्य तौर पर यह सुनिश्चित करने के क्रम में लेखापरीक्षित संस्था से सम्मत होते हैं कि उन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पूर्णतः, सही एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया हो। इसमें लेखापरीक्षित संस्था के उठाए गए मामलों की प्रतिक्रियाओं को भी या तो शब्दशः या फिर सार रूप में, विशेष रूप में वहां, जहां लेखापरीक्षक अपने स्वयं के विचारों अथवा सिफारिशों को दर्शाता है, शामिल किए जाने की आवश्यकता हो सकती है।

निष्पादन रिपोर्टों को मात्र पिछले की आलोचना पर संकेद्रित नहीं होना चाहिए बल्कि रचनात्मक होना चाहिए।

The auditor is not normally expected to provide an overall opinion on the achievement of economy, efficiency and effectiveness by an audited entity in the same way as the opinion on financial statements. Where the nature of the audit allows this to be done in relation to specific areas of an entity's activities, the auditor should provide a report, which describes the circumstances and arrives at a specific conclusion rather than a standardized statement. Where the audit is confined to consideration of whether sufficient controls exist to secure economy, efficiency or effectiveness, the auditor may provide a more general opinion.

Auditors should recognize that their judgement is being applied to actions resulting from past management decisions. Care should therefore, be exercised in making such judgements, and the report should indicate the nature and extent of information reasonably available (or which ought to have been available) to the audited entity at the time the decisions were taken. By stating clearly the scope objectives and findings of the audit, the report demonstrates to the reader that the auditor is being fair. Fairness also implies the presentation of weakness or critical findings in such a way as to encourage correction and to improve systems and guidance within the audited entity. Accordingly the facts are generally agreed with the audited entity in order to ensure that they are complete, accurate and fairly presented to the audit report. There may also be a need to include the audited entity's responses to the matters raised, either verbatim or in summary, especially where an auditor presents its own views or recommendations.

Performance reports should not concentrate solely on criticism of the past but should be constructive.

अध्याय – III

विधायी पृष्ठभूमि

बिजली को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची – III (समवर्ती सूची) में प्रविष्टि 38 पर शामिल किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246(2) के अनुसार संसद और राज्य विधान मण्डल, दोनों को सातवीं अनुसूची में सूची – III में बताए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।

सभी पूर्ववर्ती केन्द्रीय विधानों, अर्थात् भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 और विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998, उत्पादन, संचारण वितरण, बिजली का व्यापार एवं इस्तेमाल, विद्युत टैरिफ का युक्तीकरण, विनियामक आयोग आदि के गठन से संबंधित सूत्रबद्ध कानूनों को रद्द करते हुए दि. 26-05-2003 को केन्द्रीय अधिनियम बिजली अधिनियम, 2003 लागू हुआ।

बिजली की खपत अथवा बिक्री पर कर, राज्य का विषय होने से केरल सरकार ने विद्युत शुल्क अधिनियम, 1963 के माध्यम से राज्य में विद्युत ऊर्जा की बिक्री एवं खपत पर शुल्क लगाने से संबंधित कानून बनाए, जो 15 अप्रैल, 1963 से लागू हुए। अधिनियम के तहत आवश्यक नियम भी, केरल विद्युत शुल्क नियमावली, 1936 के रूप में 1963 में तैयार किए गए थे।

केरल राज्य में विद्युत ऊर्जा की बिक्रियों एवं खपत पर शुल्क लगाने से संबंधित कानूनों को समान बनाने एवं संशोधित करने के लिए केरल विद्युत शुल्क अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 23) तैयार किया गया था। अधिनियम का और संशोधन, 1969 का संशोधन अधिनियम (1969 का अधिनियम सं. 30) और 1972 का संशोधन अधिनियम सं. 24 के अनुसार किया गया था।

CHAPTER -III

LEGISLATIVE BACKGROUND

Electricity is included at as entry No. 38 in List III(concurrent list) in the Seventh Schedule to the constitution of India. According to Article 246(2) of the constitution of India both Parliament and State Legislature have the Power to make laws on the subjects enumerated in List III in the Seventh Schedule.

The Central Act-the Electricity Act 2003 came into effect on 26/5/2003 repealing all earlier central legislations viz Indian Electricity Act 1910, Electricity Supply Act 1948 and the Electricity Regulatory Commission Act 1998, formulated laws relating to generation, transmission distribution, trading and use of electricity, rationalisation of electricity tariff, constitution of Regulatory Commission etc.

Taxes on the consumption or sale of electricity being a State subject the Government of Kerala enacted laws relating to the levy of duty on the sale and consumption of electrical energy in the State through Electricity Duty Act 1963 that came into force on 15th April 1963. Necessary Rules under the Act were also framed in 1963 as Kerala Electricity Duty Rules 1963.

To unify and amend the laws relating to the levy of duty on the Sales and consumption of electrical energy in the State of Kerala, the Kerala Electricity Duty Act 1963 (Act 23 of 1963) was enacted. The Act was further amended as per the Amendment Act of 1969(Act No. 30 of 1969) and Amendment Act No. 24 of 1972.

अध्याय – IV

विभागीय ढांचा

4.1 विद्युत निरीक्षणालय का सरकार द्वारा जी.ओ. एमएस सं. 28 / 68 / पी डब्ल्यू, दिनांक 01 फरवरी, 1968 के तहत सरकार की एक अलग एजेंसी के रूप में गठन किया गया था। केरल विद्युत शुल्क अधिनियम, 1963 की धारा 7 की उप- धारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने 01 अप्रैल, 1969 से सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत लाइसेंसधारियों द्वारा रखे जाने हेतु अपेक्षित लेखा बहियों की जांच के लिए निरीक्षणकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्ति की। (अधिसूचना सं. 9510 / ई एल 1/ 68/डब्ल्यू एवं पी दिनांक 21-3-69)।

4.2 मुख्य विद्युत निरीक्षक की, मुख्यालय कार्यों में उप मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं विद्युत निरीक्षक द्वारा तकनीकी कार्यों में तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों में प्रशासनिक अधिकारी एवं लेखा अधिकारी द्वारा और जिला स्तर पर विद्युत निरीक्षकों द्वारा मदद की जाती है।

4.3 विभाग के मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं।

(क) तकनीकी निरीक्षण

लाइसेंसधारियों / स्वीकृति पावतियों और केरल राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत संस्थापनों का निरीक्षण।

विद्युत केन्द्रों के निर्माण की विधियों की संवीक्षा, नये संस्थापनों के साथ- साथ मौजूदा संस्थापनों के परिवर्धन एवं परिवर्तन के लिए एच. वी उपभोक्ताओं के प्रस्तावों की संवीक्षा करना।

प्रस्तावों की जांच और उपभोक्ताओं के परिसरों में संस्थापित जनरेटिंग सेटों की जांच करना तथा चालू करने के लिए सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी करना।

(ख) विद्युत शुल्क से संबंधित लेखों की जांच

विभाग, केरल राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त डीसीबी विवरणों के जरिए विद्युत शुल्क की वसूली एवं प्रेषण तथा अन्य लाइसेंसधारियों एवं स्वीकृति पावतियों से बिजली शुल्क से संबंधित मासिक विवरणियों पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है।

(ग) सक्षमता प्रमाण-पत्र, लाइसेंस आदि जारी करना

बिजली ठेकेदारों के लाइसेंस और सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करना तथा पर्यवेक्षकों एवं वायरमेन को अनुमति देना।

केरल राज्य विद्युत लाइसेंसिंग बोर्ड नियमावली, 1973 के तहत लाइसेंसिंग बोर्ड के कर्तव्यों एवं संकार्यों का निर्वाह।

प्रशिक्षु सिनेमा ऑपरेटरों का पंजीकरण तथा सिनेमा ऑपरेटर संबंधी परीक्षक बोर्ड द्वारा केरल सिनेमा विनियमन नियमावली, 1975 के नियम 53 के तहत सिनेमा ऑपरेटरों को सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करना।

CHAPTER – IV DEPARTMENTAL SET UP

4.1 The Electrical Inspectorate as a separate agency of the Government was formed by the Government vide G.O MS. No 28/68/PW dt. 1st February 1968. In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 7 of the Kerala Electricity Duty Act 1963, Government appointed with effect from the 1st day of April 1969, the Chief Electrical Inspector to Government as the inspecting officer to inspect the books of accounts required to be kept by the licensees under Section 6 of the said Act. (Notification No. 9510/EL1/68/W&P dt.21-3-69)

4.2 The Chief Electrical Inspector is assisted at the head-quarters by a Deputy Chief Electrical Inspector and an Electrical Inspector on the technical side and by an Administrative Officer and Accounts Officer, on the Administrative and financial side and Electrical Inspectors at the district level.

4.3 The main functions of the Department are given below.

(a). Technical Inspections

Inspection of the Electrical installations of the licensees/sanctionees and the Kerala State electricity Board.

Scrutiny of the methods of construction of the Power stations, scrutiny of the proposals of H.V consumers for new installations as well as additions and alterations to the existing installations.

Scrutiny of proposals and inspection of generating sets installed in consumers' premises and issue of safety certificate for commissioning.

(b). Inspection of the accounts relating to Electricity Duty.

The department is responsible for watching collection and remittance of electricity duty through the D.C. B statements obtained from the Kerala State Electricity Board and other monthly returns relating to electricity duty from other licensees and sanctionees.

(c) Issue of Competency Certificates, Licences etc.

Issue of Electrical Contractors' licences and competency certificates and permits to supervisors and wiremen.

Discharge the duties and functions of the Licensing Board under the Kerala State Electricity Licensing Board Rules, 1973.

Registration of apprentice cinema operators and issue of competency certificate to Cinema operators by the Board of Examiners for cinema operators under Rule 53 of the Kerala Cinema Regulation Rules, 1975.

अध्याय – V

केरल विद्युत शुल्क अधिनियम और नियमावली, 1963

5.1 केरल विद्युत शुल्क अधिनियम को केरल राज्य में विद्युत ऊर्जा की बिक्री एवं खपत पर शुल्क लगाने के लिए 1963 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम दि.15-4-63 से प्रवृत्त हुआ।

5.2 परिभाषा

(i) “उपभोक्ता” में कोई स्थानीय प्राधिकरण, कम्पनी अथवा अन्य व्यक्ति शामिल है, जिसे लाइसेंसधारी द्वारा शुल्क के भुगतान पर अथवा अन्यथा ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, और लाइसेंसधारी अथवा अन्य व्यक्ति, शामिल हैं, जो स्वयं के द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपभोग करता है, परन्तु इसमें वह लाइसेंसधारी शामिल नहीं है, जिसे ऊर्जा की आपूर्ति राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दूसरों को आपूर्ति करने हेतु की जाती है। कोई भी लाइसेंसधारी जो स्वयं के द्वारा उत्पादित ऊर्जा अथवा केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आपूर्तित ऊर्जा का उपभोग करता है, उसे इस तरह उपभुक्त ऊर्जा के संबंध में एक उपभोक्ता होना समझा जाएगा, जो उसके उत्पादन, पारेषण एवं संवितरण प्रणाली के निर्माण, रख-रखाव और प्रचालन से जुड़े प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उपभुक्त ऊर्जा के अतिरिक्त है। (1972 का अधिनियम 24)।

(ii) “विद्युत शुल्क” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 अथवा धारा 4 के तहत लगाए गए शुल्क से है।

(iii) “ऊर्जा” का तात्पर्य विद्युत ऊर्जा से है।

(iv) “लाइसेंसधारी” का तात्पर्य

(क) केरल राज्य विद्युत बोर्ड

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन ऊर्जा की आपूर्ति हेतु लाइसेंसयुक्त कोई व्यक्ति और इसमें वह व्यक्ति शामिल है, जिसे इस तरह लाइसेंसयुक्त होना समझा गया है तथा कोई अन्य व्यक्ति, जिसे सरकार की मंजूरी प्राप्त की है।

(ग) सरकार, जब यह ऊर्जा आपूर्ति करने के कारोबार में लगी हो।

5.3 धाराओं को प्रभारित करते हुए – विद्युत शुल्क की उगाही एवं वसूली :

(i) अधिनियम की धाराएं 3 और 4 शुल्क प्रभारित करनेवाली धाराएं हैं। धारा 3 लाइसेंसधारी द्वारा बेची गई ऊर्जा पर शुल्क की उगाही की व्यवस्था करता है और धारा 4, शुल्क के उगाही (उपभोक्ताओं पर उनके द्वारा उपभुक्त ऊर्जा पर) की व्यवस्था प्रदान करता है।

(ii) धारा 3(i) निर्धारित करता है कि केरल राज्य में प्रत्येक लाइसेंसधारी को 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक के मूल्य पर बेचे गए ऊर्जा के 6 पैसे प्रति यूनिट पर परिकलित शुल्क को सरकार को हर महीने अदा करना चाहिए। शुल्क के प्रत्येक लाइसेंसधारी के लिए अलग से परिकलित करना चाहिए। ऊर्जा की बिक्री पर शुल्क

CHAPTER – V

KERALA ELECTRICITY DUTY ACT AND RULES 1963

5.1 Kerala Electricity Duty Act was enacted in 1963 to levy duty on the sales and consumption of electrical energy in the State of Kerala. This act came into force with effect from 15.4.63.

5.2 Definitions

(i) “consumer” includes a local authority, company or other person to whom energy is supplied by a licensee on payment of charges or otherwise, and a licensee or other person who consumes energy generated by himself but does not include a licensee to whom energy is supplied by the State Electricity Board for supply to others. Any licensee who consumes energy generated by himself or supplied by the Kerala State Electricity Board shall be deemed to be a consumer in respect of energy so consumed except in respect of energy consumed by him for purpose connected with the construction, maintenance and operation of his generating, transmitting and distributing system.(Act 24 of 1972).

(ii) “Electricity duty” means a duty levied under Section 3 or section 4 of the Act.

(iii). “Energy” means electrical energy. (iv). “Licensee” means

(a) Kerala State Electricity Board

(b) Any person licensed under The Electricity Act 2003 to supply energy and includes any person who is deemed to have been so licensed and any other person who has obtained the sanction of Government.

(c) The Government when it is engaged in the business of supplying energy.

5.3 Levy and collection of Electricity Duty-Charging Sections:

(i) . Sections 3 and 4 of the Act are the charging sections. Sections 3 provides for the levy of duty on the energy sold by the licensee and Section 4 provides for the levy of duty (on the consumers on the energy consumed by him).

(ii). Section 3(i) lays down that every licensee in the State of Kerala should pay every month to the government a duty calculated at 6 paise per unit of energy sold at a price of more than 12 paise per unit. The duty is to be calculated separately for each licensee.

को लाइसेंसधारी द्वारा वहन करना चाहिए और उपभोक्ता पर नहीं थोपा जाएगा। तथापि, इस तरह का शुल्क इसके द्वारा दूसरे लाइसेंसधारी को बेचे गए ऊर्जा पर केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा देय नहीं होता है।

(iii) केरल विद्युत शुल्क नियमावली, 1963 के नियम 3(i) के अनुसार, शुल्क, अधिनियम की धारा 3 के तहत माह के संबंध में आगामी माह की समाप्ति से पहले देय होता है। शुल्क को बिजली की बिक्री पर लेखा शीर्ष 0043-00-101-99 कर के तहत सरकार के क्रेडिट हेतु सरकारी खजाने में अदा किया जाना चाहिए। खजाना चालान रसीद को जांचकर्ता अधिकारी को भेजा जाना चाहिए।

(क) अधिनियम की धारा 4 निर्धारित करता है कि अधिनियम की अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नीचे दोहराए गए किसी भी श्रेणी से संबंधित प्रत्येक उपभोक्ता उस अनुसूची के कॉलम (3) में उस श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट दर पर परिकल्पित शुल्क निर्धारित तरीके में सरकार को हर महीने अदा करेगा। तथापि, उन मामलों में, जहां किसी उपभोक्ता को ऊर्जा की आपूर्ति सरकार अथवा लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच प्रवृत्त करार के तहत विनियमित होती है, वहां सरकार, या तो उस दर को जिस दर पर शुल्क ऐसे उपभोक्ता पर उदग्रहणीय है कम या फिर ऐसे उपभोक्ता को ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के अध्यक्षीन, जो भी सरकार द्वारा लगाए गए हो, शुल्क के भुगतान से छुट प्रदान करने के लिए सक्षम है।

अनुसूची

मद	उपभोक्ताओं की श्रेणी	शुल्क दर
1.	घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ता, जो ऊर्जा का उपभोग प्रकाश व लाइट एवं पंखों के संयुक्त संस्थापन, रेडियो, रेफ्रीजिरेटर, छोटे कुकर, एयरकंडीशनिंग, प्लांट, हीटर, पम्प, समस्त बिजली उपकरणों, चलचित्र प्रक्षेपी संस्थापनों और मोशन पिक्चर स्टुडियो जैसे प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं।	बीजक में दर्शाए गए ऊर्जा के मूल्य का 10 प्रतिशत।
2.	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	शून्य
3.	कृषि प्रयोजनों के लिए ऊर्जा का उपभोग करने वाले उपभोक्ता	बीजक में दर्शाए गए ऊर्जा के मूल्य का 10 प्रतिशत
4.	औद्योगिक उपभोक्ता	
क.	11 के. वी से कम बिंदु पर ऊर्जा की आपूर्ति लेने वाले उपभोक्ता	बीजक में दर्शाए गए ऊर्जा के मूल्य का 10 प्रतिशत।
ख.	11 के वी एवं उससे अधिक पर ऊर्जा की आपूर्ति लेने वाले उपभोक्ता	बीजक में दर्शाए गए ऊर्जा के मूल्य का 20 प्रतिशत, उसके बाद 6/75 एवं 30% तक (1975 का अधिनियम 13)

The duty on the sale of energy should be borne by the licensee and shall not to be passed over to the consumer. However, no such duty is payable by the Kerala State Electricity Board on the energy sold by it to another licensee.

(iii). As per rule 3(i) of the Kerala Electricity Duty Rules 1963, the duty under Section 3 of the Act in respect of a month is payable before the expiry of the following month. The duty is to be paid into government treasury to the credit of the government under the head of account 0043-00-101-99-Taxes on sale of electricity. The Treasury challan receipt is to be sent to the Inspecting Officer.

(a). Section 4 of the Act lays down that every consumer belonging to any of the classes specified in column(2) of the schedule of the Act reproduced below shall pay every month to the Government in the prescribed manner a duty calculated at the rate specified against that class in column(3) thereof. However, in cases where the supply of energy to a consumer, is regulated by an agreement entered into between the Government or the licensee and the consumer. Government is competent either to reduce the rate at which duty is leviable on such consumer or to exempt such consumer from payment of duty subject to such terms and conditions as may be imposed by the Government.

SCHEDULE

Item	Class of consumers	Rate of duty
1.	Domestic and commercial consumers consuming energy for purposes like lighting and combined installation of lights and fans, radios, refrigerators, small cookers, air-conditioning, plants, heaters, pumps, all electric homes, cinematograph installations and motion picture studios.	10 per cent of the price of energy indicated in the invoice.
2	Public lighting	Nil
3	Consumers of energy for agricultural purposes	10 per cent of the price of energy indicated in the invoice.
4	INDUSTRIAL CONSUMERS	
a.	Consumers taking supply of energy at points below 11 K.V	10 per cent of the price of energy indicated in the invoice.
b.	Consumers taking supply of energy at 11 K.V and above	20 per cent of the price of energy indicated in the invoice upto 6/75 and 30% thereafter (Act 13 of 1975)

5.	उपभोक्ता, जो अपने स्वयं की खपत के लिए ऊर्जा पैदा करते हैं।	उत्पादित एवं उपभुक्त ऊर्जा का 1.2 पी एस प्रति यूनिट।
----	--	--

(ख) जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वयं के द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपभोग करता है, भी एक उपभोक्ता है, ऐसे व्यक्तियों को निर्धारित स्थान पर एक मीटर लगाना चाहिए और इसे उचित अवस्था में रखना चाहिए।

(ग) अधिनियम की धारा 5(i) निर्धारित करता है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को अधिनियम की धारा 4 के तहत उपभोक्ताओं द्वारा देय बिजली शुल्क को समय पर एवं निर्धारित तरीके में प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा, जिन्हें उनके द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति की गई है, उपभुक्त ऊर्जा यूनिटों पर वसूल करना चाहिए और सरकार को भुगतान करना चाहिए। इस प्रकार देय शुल्क लाइसेंसधारी द्वारा उपयुक्त ऊर्जा के संबंध में वसूली योग्य राशियों पर पहला शुल्क होगा और उसके द्वारा सरकार को देय एक ऋण होगा।

(घ) केरल विद्युत शुल्क नियमावली, 1963 के नियम 3(2) के अनुसार लाइसेंसधारियों द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल किए गए शुल्क को उनके द्वारा उपभुक्त ऐसी ऊर्जा के संबंध में देय शुल्क के साथ बिजली की खपत एवं बिक्री संबंधी लेखा शीर्ष 0043-00-101-99 कर के तहत, उपभोक्ताओं से वसूली किए गए शुल्क के 1% को वसूली शुल्क के रूप में प्रतिधारित करते हुए उत्तरवर्ती माह की समाप्ति से पहले सरकारी खजाने में भेजना चाहिए। चालान रसीद को जांचकर्ता अधिकारी को भेजना चाहिए। लाइसेंसधारी द्वारा देय शुल्क के संबंध में उनके स्वयं के द्वारा उपभुक्त ऊर्जा के लिए वसूली शुल्क स्वीकार्य नहीं है।

5.4 (क) जी. ओ. आर टी सं. 103/70/ डब्ल्यू एंड पी, दिनांक 30-3-70 में सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य में सभी लाइसेंसधारियों को, जिसमें केरल राज्य विद्युत बोर्ड शामिल है, निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन नियमों में निर्धारित समय के भीतर सरकार को बिजली शुल्क के अग्रिम भुगतान करने की अनुमति है:

(1) पूर्ववर्ती तीन महीने के लिए प्रदत्त बिजली शुल्क का औसत अग्रिम राशि के रूप में निश्चित होगा, और

(2) एक माह विशेष के लिए देय राशि और पहले अदा की गई राशि के बीच शेष राशि को केरल बिजली शुल्क नियमावली के नियम 3 में निर्धारित देय तारीख से 45 दिन के भीतर 12% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के साथ सरकार को भेजना चाहिए।

(ख) (1) अधिनियम की धारा 8 निर्धारित करता है कि बिजली शुल्क के संबंध में देय किसी भी राशि को, यदि केरल बिजली शुल्क नियमावली के नियम 3 के तहत अनुमत समय के भीतर अदा नहीं किया गया हो, बकाया राशियों के रूप में समझना चाहिए। बकाया राशियों, 18% से अनधिक के ब्याज के साथ, जिसे सरकार द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो, या तो सिविल न्यायालय के जरिए, या फिर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली – योग्य होंगी:

5	Consumers who generate energy for their own consumption	1.2 ps per unit of energy generated and consumed
---	---	--

(b). As every person who consumes energy generated by himself is also a consumer, such persons should install a meter at the prescribed point and maintain it in proper condition.

(c). Section 5(i) of the Act lays down that every licensee should collect and pay to government at the time and in the manner prescribed, the electricity duty payable by the consumers, under Section 4 of the Act on the units of energy consumed by every consumer to whom energy is supplied by him. The duty so payable shall be a first charge on the amounts recoverable by the licensee for the energy consumed and shall be a debt due by him to Government.

(d). As per Rule 3(2) of the Kerala Electricity Duty Rules 1963 the duty collected from the consumers by the licensees together with the duty payable for such energy consumed by them should be remitted into the Government treasury before the expiry of the following month under the head of account 0043-00-101-99 Taxes on consumption and sale of electricity retaining 1% of the duty collected from the consumers as collection charge. The challan receipt is to be sent to the Inspecting Officer. No collection charges are admissible in respect of duty payable by the licensees for the energy consumed by themselves.

5.4 (a). In G.O. Rt. No. 103/70/W&P dt. 30.3.70 Government have ordered that all the licensees in the State, including the Kerala State Electricity Board, are permitted to make advance payments of electricity duty to Government within the time prescribed in the rules subject to the following conditions:

(1). The average of the electricity duty paid for the previous three months will be fixed as the advance amount and

(2). The difference between the amount due for a particular month and the amount of advance paid should be remitted to Government within 45 days from the due date fixed in Rule 3 of the K.E.D. Rules with interest @ 12 % per annum.

(b) (1) Section 8 of the Act lays down that any sum due on account of electricity duty, if not paid within the time allowed under rule 3 of the K.E.D Rules should be treated as arrears. Arrears with interest not exceeding 18% per annum which may be fixed by Government by special or general order shall be recoverable either through a civil court or as an arrear of land revenue:

(i) यदि राशि लाइसेंसधारी से धारा 3 के अंतर्गत देय थी।

(ii) यदि राशि सरकार के विकल्प पर या तो उपभोक्ता से या फिर लाइसेंसधारी से धारा 5 की उप-धारा (i) के तहत (अर्थात् उपयुक्त विद्युत ऊर्जा पर शुल्क) देय थी, और

(iii) यदि राशि उस व्यक्ति द्वारा देय थी जिसने ऐसे व्यक्ति से स्वयं द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपभोग किया।

(2) नियम 4 निर्धारित करता है कि जहां लाइसेंसधारी ने नियम 3 के तहत लगातार 3 महीने की अवधि तक यथा-अपेक्षित शुल्क का भुगतान नहीं किया हो, वहां निरीक्षणकर्ता अधिकारी को मामले के बारे में उस क्षेत्राधिकार के अन्दर, जिसमें लाइसेंसधारी कार्य संचालन कर रहा है, देय राशि का और वसूल किए जाने वाली राशि का उल्लेख करते हुए जिला कलेक्टर को सूचित करना चाहिए तथा जिला कलेक्टर को लाइसेंसधारी से देय राशियों को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए उस पर कदम उठाने चाहिए।

(ग) राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 8 के तहत देय ब्याज की दर को निम्नानुसार निश्चित किया है:

(i) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से देय बिजली शुल्क के बकायों के लिए 12% प्रति वर्ष, सिवाय कृषि उपभोक्ताओं के, जिनके मामले में दर 6% प्रति वर्ष है (जी.ओ. एम एस 376/64/ पी डब्ल्यू, दिनांक 10-12-64 के तहत)।

(ii) सभी लाइसेंसधारियों से अधिनियम की धारा 3 के तहत उनसे देय विद्युत शुल्क के बकाया राशियों पर और उपभोक्ताओं से शुल्क के रूप में वसूल किए गए राशियों पर भी, परन्तु जिन्हें समय पर सरकार को नहीं भेजा गया हो, 12% प्रति वर्ष (जी.ओ. एम एस 251/67/ पी डब्ल्यू दिनांक 2-12-67)।

(iii) सरकार ने अपने जी. ओ. एम. एस. सं. 58/78/ पी डब्ल्यू, दिनांक 19-5-1978 में एचटी एवं अतिरिक्त एच टी उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क के बकायों पर 18% प्रति वर्ष और सभी अन्य उपभोक्ताओं से 12% प्रति वर्ष के रूप में दायित्वक ब्याज की दर निर्धारित की है।

विद्युत शुल्क अधिनियम में विद्युत बोर्ड अथवा किसी अन्य लाइसेंसधारी को शुल्क के विलंबित भुगतान पर दायित्वक ब्याज के भुगतान से छूट हेतु सरकार को सक्षम बनाने का कोई उपबंध नहीं है।

5.5 छूट

सरकार जन हित में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी लाइसेंसधारी को विद्युत शुल्क के सम्पूर्ण भाग अथवा उसके भाग के भुगतान हेतु ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के अधीन जैसा भी ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, छूट प्रदान कर सकती है (अधिनियम की धारा 11(i))।

सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी उपभोक्ता को उसके द्वारा, उस अवधि के दौरान, लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति नहीं की गई हो अथवा लाइसेंसधारी द्वारा ऊर्जा की कोई सीमित आपूर्ति की गई हो, जैसा भी मामला हो, उत्पादित और उपयुक्त ऊर्जा पर देय विद्युत शुल्क के सम्पूर्ण अथवा किसी भाग के भुगतान से छूट प्रदान कर सकती है (धारा 11(2))।

- (i). if the amount was payable under Section 3 from the licensee.
 - (ii) if the sum was payable under sub- section (i) of section 5 (viz the duty on electrical energy consumed) either from the consumer or from the licensee at the option of the government and
 - (iii). If the sum was payable by a person who consumed energy generated by himself, from such person.
- (2). Rules 4 lays down that where the licensee has failed to pay the duty as required by Rule 3 for a consecutive period of 3 months the Inspecting Officer should report the matter to the District Collector within jurisdiction the licensee is operating, specifying the amount due and to be recovered and the District Collector should thereupon take steps to recover the dues from the licensee as an arrear of land revenue:
- (c). The State Government have fixed the rate of interest payable under section 8 of the Act as follows:
- (i). 12% per annum for the arrears of electricity duty due from the different classes of consumers except agricultural consumers in whose case the rate is 6% per annum (vide G.O MS.376/64/PW dt 10-12-64).
 - (ii). 12% per annum from all licensees on arrears of electricity duty due from them under Section 3 of the Act and also on sums collected as duty from the consumers but not remitted to Governemnt in time(G.O MS.251/67/PW dt. 2-12-67).
 - (iii). Government have in their G.O MS. No. 58/78/PW dated 19-5-1978 fixed the rate of penal interest on arrears of Electricity Duty from H.T and Extra H.T consumers as 18% per annum and 12 % per annum from all other consumers.
 - (iv). There is no provision in the Electricity Duty Act to enable the Government to exempt the Electricity Board or any other licensee from the payment of penal interest for belated payment of duty.

5.5. Exemptions

Government may in public interest, by notification in the gazette, exempt any licensee from the payment of the whole or part of the Electricity duty for such period and subject to such terms and conditions as may be specified in such notification (section 11(i) of the Act).

The Government may by notification in the gazette, exempt any consumer from the payment of the whole or any portion of the electricity duty payable on energy generated and consumed by him during periods when there is failure of supply by the licensee or there is any restricted supply of energy by the licensee as the case may be (Section 11(2)).

5.6 बचत

बिजली की खपत अथवा बिक्री पर (चाहे इसे सरकार द्वारा उत्पन्न किया गया हो अथवा किसी व्यक्ति द्वारा) बिजली पर (1) भारत सरकार द्वारा खपत पर अथवा उस सरकार द्वारा खपत हेतु भारत सरकार को बेचे गए बिजली पर, (2) भारत सरकार द्वारा किसी रेलवे के निर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रचालन में खपत पर अथवा किसी रेलवे के निर्माण, अनुरक्षण अथवा प्रचालन में खपत हेतु उस सरकार को बेचे गए बिजली पर शुल्क नहीं लगाया जाएगा (धारा 12)।

5.7 शास्तियां

यदि लाइसेंसधारी लेखा बही रखने अथवा विवरणियों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा लाइसेंसधारी अथवा अन्य व्यक्ति जानबूझ कर जांचकर्ता अधिकारी को अधिनियम अथवा नियमों के तहत उसके कार्य निष्पादन में बाधा डालता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे एक हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है (धारा 9)।

5.8 कम्पनियों द्वारा अपराध

केरल विद्युत शुल्क अधिनियम, 1963 की धारा 10 के अनुसार जहां इस अधिनियम के तहत कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है, कोई भी व्यक्ति जो अपराध के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के लिए कम्पनी का प्रभारी था और साथ ही कम्पनी के लिए जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने अथवा दण्ड लगाए जाने के लिए दायी होगा। धारा, ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड से दण्डित करने में संरक्षण प्रदान करती है, यदि वह साबित करता है कि घटित अपराध की उसे जानकारी नहीं थी अथवा यह कि उसने ऐसे अपराध के होने को रोकने के लिए सम्यक प्रयत्न किया था।

5.9 अपील और प्रतिदाय

केरल विद्युत शुल्क अधिनियम, 1963 के तहत अपील / विवाचन द्वारा विवादों के निपटान हेतु और पहले से प्रदत्त विद्युत शुल्क की वापसी के लिए कोई उपबंध मौजूद नहीं है।

5.6. Savings

No duty on the consumption or sale of electricity (whether produced by government or other persons) will be imposed on electricity (1) consumed by the government of India or sold to the Government of India for consumption by that Government (2) consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or sold to that Government for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway (Section12).

5.7 Penalties

If a licensee fails to keep the books of account or to submit the returns or the licensee or other person intentionally obstructs an Inspecting Officer in the performance of his duties under the Act or Rules, he shall be punishable with a fine which may extend to one thousand rupees (Section 9)

5.8 Offences by the Companies

As per section 10 of the Kerala Electricity Duty Act, 1963 where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time, the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against or punished accordingly. The section provides protection to such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he has exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

5.9 Appeals and Refunds

Under the Kerala Electricity Duty Act, 1963 no provision exist for the settlement of disputes by appeal/arbitration and for the refund of Electricity Duty already paid.

अध्याय – VI

विभागीय प्रक्रिया

6.1 लेखा बही:-

(क) अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रत्येक लाइसेंसधारी को निर्धारित फॉर्म में लेखा बही रखनी चाहिए और सरकार को अथवा निर्धारित अधिकारी को, ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय में, जैसा भी निर्धारित किया गया हो, उसके द्वारा उपयुक्त अथवा उसके द्वारा प्रत्येक ग्राहक को आपूर्ति किए गए, जैसा भी मामला है, ऊर्जा यूनिटों को और उस पर देय शुल्क एवं उसके द्वारा वसूल की गई अथवा प्रदत्त शुल्क की राशि को दर्शाते हुए अथवा ऐसे विवरणों को, जैसा भी निर्धारित किया गया हो, दर्शाते हुए विवरणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

(ख) प्रपत्र को निर्धारित करते हुए, जरूरी नियम तैयार किए गए हैं (नियम- 5, 5क और 6), जिनमें लेखों को किस प्रारूप में रखा जाना होता है, प्राधिकारी, जिन्हें विवरणियों को प्रस्तुत की जानी हैं, और विवरणियाँ प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीखें आदि बताया गए हैं। प्रत्येक लाइसेंसधारी, अधिनियम की धारा 11, धारा 12 और धारा 3 के परन्तुक के तहत शुल्क के भुगतान और विद्युत ऊर्जा की अन्य सभी बिक्रियों से ब्रूट प्राप्त विद्युत ऊर्जा की बिक्रियों के संबंध में अलग से लेखे रखने के लिए अपेक्षित है। लेखा बहियों में ब्यौरे इस प्रकार दर्शाने चाहिए।

1) उपभोक्ता की संख्या और नाम

2) उपभोक्ता का पता और उनके संक्षिप्त विवरण के साथ परिसरों का नाम

3) (क) 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक पर बेचे गए ऊर्जा यूनिटों की संख्या

(ख) 12 पैसे प्रति यूनिट एवं सम पर बेचे गए ऊर्जा यूनिटों की संख्या

(i) बिजली, पखों एवं अन्य घरेलू उपकरणों के लिए;

(ii) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए;

(iii) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए और बिजली, पंखे तथा एक संयुक्त सर्क्यूट पर अन्य घरेलू उपकरणों के लिए, और

(iv) कृषि प्रयोजनों के लिए।

(ग) गली में प्रकाश के लिए आपूर्ति किए गए ऊर्जा यूनिटों की संख्या

(घ) मदों (क), (ख) और (ग) के तहत आपूर्ति की गई ऊर्जा यूनिटों की कुल संख्या।

बशर्ते कि जहां टैरिफ में मीटर से की गई ऊर्जा आपूर्ति शामिल न हो, वहां लाइसेंसधारी को आपूर्ति को निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित आधार पर संगणित करना चाहिए अथवा उपयुक्त रूप से मीटर वाले उपकरण को मुहैया एवं अनुरक्षित करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त उल्लेख किया कि जहां किसी उपभोक्ता द्वारा देय शुल्क केवल उसे वास्तव में परिकलित न हों, वहां लाइसेंसधारी ऊर्जा यूनिटों की संख्या पर शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी है, जो उसके टैरिफ के अनुसार उसके द्वारा उपभोक्ता से वसूल की गई राशि के बराबर होगा (नियम 5)।

CHAPTER – VI
DEPARTMENTAL PROCEDURE

6.1 Books of Account:-

(a). Under section 6 of the Act every licensee should keep books of account in the prescribed form and submit to the Government or to the prescribed Officer returns in such form and at such times as may be prescribed, showing the units of energy consumed by him or supplied by him to each consumer as the case may be and the amount of duty payable thereon and recovered or paid by him under this Act or showing such particulars as may be prescribed.

(b). Necessary Rules have been framed(Rules 5, 5A and(6) prescribing the form in which the accounts are to be maintained, the authority to whom the returns are to be furnished and the due dates for furnishing the returns. Every licensee is required to keep accounts separately for sales of electrical energy exempt from payment of duty under Section 11, Section 12 and the proviso to Section 3 of the Act and all other sales of electrical energy. The books of accounts should show the details such as.

- 1). Number and name of consumer
- 2). Address of consumers and the name of the premises with a brief description thereof
- 3). (a) the number of units of energy sold at more than 12 paise per unit.
b). the number of units of energy sold at 12 paise and less per unit.
 - i). for lights, fans and other domestic appliances;
 - ii). For industrial purposes:
 - iii). For industrial purposes and for lights, fans and other domestic appliances on a combined circuit, and
 - iv). For agricultural purposes
- c). the number of units of energy supplied for street-lighting
- d). the total number of units of energy supplied under items(a)(b) and (c)

Provided that where the tariff does not involve metered supply of energy, the licensee should compute the supply on a basis proved by the Inspecting Officer or should provide and maintain suitable metering equipment:

Provided further that where the charges payable by a consumer are not calculated solely on the number of units of energy actually supplied to him, the licensee is liable to pay the duty on the number of units of energy which according to his tariff will be equivalent to the amount realized by him from the Consumer(Rule5).

ड) लाइसेंसधारी जो अपने आप द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा का उपभोग करते हैं, को अलग लेखा बही अनुरक्षित करने की अपेक्षा है। (नियम 5ए)।

6.2 विवरणियां

नियम 6 के तहत प्रत्येक लाइसेंसधारी को विवरणियाँ दो प्रतिलिपियों में निम्नलिखित तरीके में निरीक्षणकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए:

- (i) उस अनुवर्ती माह के बाद अगले माह की 15 वीं तारीख तक जिस माह से विवरणियां संबंधित है, दो मासिक विवरणियां, एक फॉर्म – क में तथा दूसरा फार्म – ख में, जो उसमें विनिर्दिष्ट ब्यौरों के साथ हों, और
- (ii) उस वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती दूसरे माह की 15 वीं तारीख तक, जिससे विवरणियां संबंधित है, फॉर्म “ग” में वार्षिक विवरणी, जिसमें उसमें विनिर्दिष्ट ब्यौरे शामिल हों, और

(iii) उस माह के दौरान उनके द्वारा निर्धारित शुल्क के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरों को दर्शाने वाला मासिक विवरण

1. सेंटर का नाम
2. उपभोक्ता संख्या
3. ग्राहक का नाम
4. वर्तमान शुल्कों के संबंध में निर्धारित यूनिटों की संख्या
5. शुल्क दर
6. प्रभारित शुल्क की राशि

6.3 जांचकर्ता अधिकारी

जांचकर्ता अधिकारी लाइसेंसधारी के पंजीकृत अथवा अन्य कार्यालय में निरीक्षण हेतु ऐसे बहियो एवं रिकॉर्डों को अपने स्वामित्व अथवा नियंत्रण में, जैसा भी अधिनियम के तहत देय शुल्क की राशि का पता लगाने के लिए अथवा सत्यापन करने के लिए आवश्यक हो, लाइसेंसधारी से प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है और जांचकर्ता अधिकारी किसी भी परिसर में, जिसमें किसी भी व्यक्ति/ लाइसेंसधारी द्वारा ऊर्जा का उत्पादन / आपूर्ति की जाती है अथवा किए जाने का विश्वास है, प्रवेश करने के लिए अधिकृत है, और निम्नलिखित का सत्यापन करने के प्रयोजनार्थ उचित समय पर परिसरों में संस्थापित सभी मीटरों तक पहुँच बनाने के लिए अधिकृत है

- i. अनुरक्षित लेखा बहियों में और लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों में दर्ज विवरणों,
- ii. मीटरों के पठन, और
- iii. शुल्क की उगाही के संबंध में अपेक्षित ब्योरे तथा निश्चयनकारी सूचना

बशर्ते कि परिसरों में प्रवेश करते समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उचित नोटिस देना चाहिए और किराएदारों के धार्मिक एवं अन्य प्रथाओं का पालन करना चाहिए।

(धारा 7 और नियम 7 एवं 8)

6.4 लाइसेंसधारियों द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड और निरीक्षक को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियां उगाही की गयी और उपभोक्ताओं द्वारा देय विद्युत शुल्क दर्शाएंगे। इस समय राज्य में 9 लाइसेंसधारी हैं। वे निम्नलिखित हैं।

e). The licensees consuming electrical energy generated by themselves are required to keep separate books of account (Rule 5A)

6.2 Returns

Under Rule 6 every licensee should submit to the Inspecting Officer in duplicate returns in the following manner:

i). by the 15th day of the month next after that following the month to which the returns relate, two monthly returns one in Form A and the other in Form B containing the particulars specified therein, and

ii). by the 15th day of the Second month following the financial year to which the return relates a yearly return in Form “C” containing particulars specified therein and

(iii). A monthly statement showing the following particulars in respect of duty assessed by him during that months

1. Name of Centre
2. Consumer No
3. Name of Customer
4. No of units assessed for current charges.
5. Rate of duty
6. Amount of duty charged

6.3 Inspecting Officer

The Inspecting Officer may at any time, require a licensee to produce for inspection at the registered or other office of the licensee such books and records in his possession or control as may be necessary for ascertaining or verifying the amount of duty payable under the Act and the Inspecting Officer is authorized to enter any premises in which energy is or is believed to be generated/supplied by any person/licensee, and to have access to all meters installed in the premises at reasonable times for the purposes of verifying

- i. The statements made in the books of account kept and returns submitted by the licensee
- ii. The reading of meters and
- iii. Particulars or ascertaining information required in connection with the levy of duty.

Provided that in entering the premises the inspecting officer should give reasonable notice and observe the religious and other usages of the tenants.

(Sn 7 and Rule 7 & 8)

6.4 The records maintained by the licensees and the returns furnished by them to the Inspector would show the electricity duty levied and payable by the consumers. At present there are 9 licensees in the State. They are:

1. के एस ई बी
2. नगर निगम, त्रिशूर
3. टाटा टी लिमिटेड (कन्नन देवन हिल प्रोजेक्ट्स कं.) मून्नार
4. कोच्चिन शिपयार्ड लि., कोच्ची
5. टेक्नो पार्क, कन्नकूट्टम
6. रबड पार्क वालयंचिरंगरा
7. किंफ्रा ईपीआईपी लि. कुसुमगिरी काक्कनाड
8. कोच्चिन पोर्ट ट्रस्ट, कोच्ची
9. कोच्चिन विशेष आर्थिक ज़ोन, काक्कनाड

6.5 लाइसेंसधारी देय शुल्क की मांग, वसूली एवं शेष को दर्शाते हुए मासिक विवरणियां मुख्य निरीक्षक को भेजते हैं। केरल राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन विभिन्न बिल्डिंग यूनितें मासिक डीसीबी विवरणों को बोर्ड को भेजते हैं। बोर्ड, बाद में हर महीने इसके द्वारा उपयुक्त / बेची गई ऊर्जा के संबंध में वसूल की गयी शुल्क के संबंध में समेकित डी सी बी तैयार करता है। बोर्ड द्वारा भेजी गई रकम समेकित डी सी बी विवरण पर आधारित होती है, जिसे मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाता है।

6.6 मुख्य विद्युत निरीक्षक लाइसेंसधारियों द्वारा सरकारी खाते में शुल्क के प्रेषण पर नजर रखने के लिए और लेखा समाधान करने के लिए जिम्मेदार होता है। इस संबंध में जांच, लाइसेंसधारियों से उसके द्वारा प्राप्त डीसीबी विवरणों के जरिए की जाती है। लाइसेंसधारी द्वारा यथा सम्प्रेषित तथा खजानों द्वारा उल्लिखित आंकड़ों के बीच लेखा समाधान करने के लिए एक रजिस्टर रखा जाता है। लेखा समाधान लेखों में दर्ज आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से भी किया जाता है।

1. KSEB
2. Municipal corporation, Thrissur
3. Tata Tea Ltd(Kannan Devan Hill Producers Co) Munnar
4. Cochin Shipyard Ltd, Kochi
5. Techno Park, Kazhakkoottam
6. Rubber Park Valayanchirangara
7. Kinfra EPIP Ltd. Kusumagiri Kakkanad
8. Cochin Port Trust Kochi.
9. Cochin Special Economic Zone, Kakkanad

6.5 The licensees send monthly returns showing the demand, collection and balance of the duty payable to the Chief Inspector. The various billing units under the Kerala State Electricity Board send monthly DCB statements to the Board. The Board in turn prepares the consolidated DCB in respect of duty levied for the energy consumed/sold by it every month. The remittance by the Board is based on the consolidated DCB statement which is furnished to the Chief Inspector.

6.6 The Chief Electrical Inspector is responsible for watching the remittance of the duty to Government account by the licensees and effect reconciliation. The check in this regard is exercised through the D.C.B statements received by him from the licensees. A register is maintained to effect reconciliation between the figures reported as remitted by the licensees and that by the Treasuries. Reconciliation is also effected between the figures booked in the accounts with departmental figures.

अध्याय – VII

केरल विद्युत अधिभार अधिनियम और नियमावली

केरल विद्युत अधिभार (उगाही एवं वसूली) अधिनियम, 1989 को 1 अक्तूबर, 1984 को लागू किया गया। केरल राज्य विद्युत बोर्ड सभी उच्च टेंशन एवं अतिरिक्त उच्च टेंशन ऊर्जा आपूर्तियों पर अधिभार वसूल करेगा, जिन्हें या तो सीधे, या फिर अन्य लाइसेंसधारियों के जरिए पांच पैसे प्रति यूनिट से अनधिक की दर पर सप्लाई किया गया हो। केरल और तमिलनाडु राज्यों को आपूर्ति की गई ऊर्जा पर अधिभार की दर, जैसा भी उसमें विनिर्दिष्ट किया गया हो, दो पैसे प्रति यूनिट से अधिक नहीं है। (अधिनियम की धारा 3)

बोर्ड द्वारा सीधे अथवा अन्य लाइसेंसधारियों के जरिए वसूल किए गए अधिभार को एक प्रतिशत वसूली शुल्क के रूप में रखने के बाद तिमाही के अनुवर्ती माह की 15 तारीख को लेखा शीर्ष 0043-101-02 के तहत सरकारी खजाने को भेजा जाएगा। यदि राशि को समय पर नहीं भेजा जाता है, तो एक प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज लगाया जाएगा। (नियम 3)

बोर्ड और लाइसेंसधारियों द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगे

1. उपभोक्ताओं की संख्या एवं नाम
2. उपभोक्ताओं का पता और परिसरों के नाम
3. प्रत्येक माह आपूर्तित / उपभुक्त ऊर्जा के कुल यूनिटें
4. उन पर देय अधिभार
5. प्रत्येक माह अदा किए गए / वसूल किए गए अधिभार की राशि

(नियम 4)

लाइसेंसधारी निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को निम्नलिखित विवरणी प्रस्तुत करेगा।

1. जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च के अंतिम दिन को समाप्त तिमाही के अगले माह की 15 तारीख तक फॉर्म क और फॉर्म ख में तिमाही विवरणी।
2. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दूसरे माह की 15 तारीख तक फॉर्म ग में वार्षिक विवरणी (नियम 5)

यदि कोई लाइसेंसधारी लेखा बही नहीं रखता है अथवा विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है, अथवा जानबूझ कर निरीक्षणकर्ता अधिकारी को उसके कार्य- निष्पादन में बाधा डालता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे 1000/- रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। यदि अपराधी कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी के व्यवसाय संचालन हेतु जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग रूप से, साथ ही कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और दण्ड लगाया जाएगा (धारा 7 और 8)

CHAPTER – VII

THE KERALA ELECTRICITY SURCHARGE ACT & RULES

The Kerala Electricity Surcharge (Levy and Collection) Act 1989 came in to force on the 1st day of October 1984. The KSEB shall collect a surcharge on all high tension and extra high tension supplies of energy supplied either directly or through other licensees at such rate not exceeding five paise per unit. The rate of surcharge on energy supplied to the States of Karnataka and Tamil Nadu is not exceeding two paise per unit as may be specified therein (Sn 3 of the Act).

The surcharge collected by the Board directly or through other licensees shall be remitted into Government treasury under the Head of Account 0043-101-02, on the 15th of the month following the quarter after retaining one percent as collection charges. If the amount is not remitted in time interest at the rate of one percent per month shall be lived. (Rule 3).

The books of Accounts kept by the Board and the licensees shall contain the following particulars

1. No. and name of consumers
2. Addresses of consumers and the name of the premises
3. The total units of energy supplied/ consumed each month
4. Surcharge payable thereon
5. The amount of surcharge paid/recovered each month

(Rule 4)

The licensee shall submit the following return to Inspecting officers

1. Quarterly return in Form A and Form B by the 15th day of the month following the Quarter ending on the last day of June, September, December and March.
2. Annual return in Form C by the 15th day of the second month after the Financial year is ended (Rule 5)

If any licensee fails to keep books of account or to submit the returns or intentionally obstructs an Inspecting Officer in the performance of his duties, he shall be punishable with fine which may extend to Rs. 1000/- . If the offender is a company, every person responsible for the conduct of business of the company severally as well as the company shall be liable to be proceeded against and punished (Section 7 & 8).

अध्याय – VIII

भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के तहत उगाहीयोग्य शुल्क

8.1 सामान्य

भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, पारेषण, आपूर्ति एवं इस्तेमाल की सम्पूर्ण सीमा शामिल है। निरीक्षकों की नियुक्ति, कार्य एवं शक्तियां तथा निरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए वसूलीयोग्य शुल्कों का विस्तार में इन नियमों में उल्लेख किया गया है (नियम 46, 63 और 64)।

8.2 नियम 10 के तहत, विद्युत ऊर्जा के आपूर्तिकर्ता को मांग करने पर निरीक्षक को आपूर्ति किए गए व्यक्तियों की एक सूची उनको प्रदान किए गए ऊर्जा के साथ, उस पते के साथ जिस पर ऊर्जा की आपूर्ति की गई है, सेवा को जोड़ने वाले माह, वोल्टेज आपूर्ति, संबद्ध लोड, आपूर्ति के प्रयोजन और संस्थापन कार्य को पूरा करने वाले ठेकेदार के नाम के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

8.3 (i) नियम 46 अपेक्षा करता है कि मौजूदा संस्थापनों की, जो वे संस्थापन हैं, जो पहले से आपूर्तिकर्ता के सिस्टम से जुड़े हैं, या तो निरीक्षक द्वारा, या फिर आपूर्तिकर्ता द्वारा, जैसा भी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया गया हो, पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर निरीक्षण एवं जांच की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार से संबंधित अथवा इसके नियंत्रणाधीन संस्थापनों और खानों, तेल क्षेत्रों एवं रेलवे में स्थित संस्थापनों के मामले में केन्द्र सरकार ऐसी आवधिक जांचों के लिए जिम्मेदार होती है। जहां आपूर्तिकर्ता को संस्थापन का निरीक्षण एवं जांच करने को कहा गया हो, वहां उसे निरीक्षक द्वारा स्वीकृत फॉर्म में संबंधित उपभोक्ता को संस्थापन के स्थिति के संबंध में सूचित करना चाहिए और इस रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षक को प्रस्तुत करनी चाहिए।

(ii) (क) प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामले में यथा स्थिति केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसे निरीक्षण एवं जांच के लिए फीस को उपभोक्ता द्वारा पहले अदा किया जाना चाहिए।

(ख) किसी उपभोक्ता द्वारा शुल्क नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को अथवा उससे पहले शुल्कों का भुगतान नहीं करने की स्थिति में ऐसे उपभोक्ता के संस्थापन की आपूर्ति को निरीक्षक के निर्देशन पर विद्युत आपूर्ति को बन्द करने की धारणा का लिखित में पूरे सात दिन का उपभोक्ता को नोटिस देने के बाद बन्द कर देना चाहिए।

(iii) भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 46 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा इस विषय पर पूर्ववर्ती सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए राज्य सरकार ने एसआरओ 852/2001 जारी किया है, जिसे दिनांक 07-09-01 के जीओ (एमएस) सं. 25/2001/टी डी में जारी किया गया है। संस्थापन के प्रकार, आवधिकता, शुल्कों की दर और संस्थापनों के निरीक्षण हेतु अधिकृत व्यक्तियों को दर्शाने वाली अधिसूचना को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

CHAPTER – VIII

FEES LEVIABLE UNDER THE INDIAN ELECTRICITY RULES, 1956

8.1 General

The Indian Electricity Rules, 1956 cover the entire range of generation, transmission, supply and use of electrical energy. Appointment, duties and powers of the Inspectors and the fees recoverable for various services rendered by the Inspectors are dealt with in detail in these rules (Rules 46,63 and 64).

8.2 Under rule 10, the Supplier of electrical energy should furnish to the Inspector on requisition, a list of all persons supplied, with energy by him, the address at which the energy is supplied, the month of connecting service, the voltage of supply, the connected load, the purpose of supply and the name of the contractor carrying out the installation work.

8.3 (i). Rule 46 requires that existing installations, that is those that are already connected to the Suppliers system should be inspected and tested at intervals not exceeding five years either by the Inspector or by the supplier as prescribed by State government in this behalf. In the case of installations belonging to or under the control of Central government and installations in mines, oil fields and railways, the Central Government is responsible for such periodical tests. Where the supplier is directed to inspect and test the installation he should report on the condition of the installation to the consumer concerned in a form approved by the Inspector and should submit a copy of such report to the inspector.

(ii)(a) The fee for such inspection and test as determined by the Central or State Government as the case may be, in the case of each class of consumers, should be paid by the consumer in advance.

(b) In the event of failure of any consumer to pay the fees on or before the dates specified in the fee notice, supply to the installation of such consumer should be discontinued under the direction of the Inspector after giving the consumer seven clear days' notice in writing of the intention to disconnect the supply of electricity.

(iii) In pursuance of the provisions of Rule 46 of the Indian Electricity Rules, 1956 and in supersession of all previous notifications on the subject the State government have issued SRO 852/2001 issued in GO(MS) No. 25/2001/TD dt. 7-9-01. The notification prescribing the types of installation, periodicity, rates of fees and persons authorised to inspect the installations is reproduced below.

तकनीकी सलाह / परामर्श हेतु शुल्क

क्रम सं.	सेवा की प्रकृति	शुल्कों की दर, रुपए में
1.0	विस्तृत इंजीनीयरिंग, उपकरणों के तकनीकी आरेख एवं अनुमान तथा विनिर्दिष्टियाँ तैयार करना और निविदाओं की तकनीकी जांच।	कार्यों की अनुमानित लागत का 3%
1.1	निष्पादन के दौरान पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं नियंत्रण	कार्यों की कुल लागत का 4%
1.2	विस्तृत इंजीनीयरिंग सहित नये कार्यों का निर्माण	कार्यों की कुल लागत का 15% जमा नियोजित स्थापना की वास्तविक लागत और वास्तविक व्यय
टिप्पणी: उपरोक्त प्रतिशत में पेंशन संबंधी लाभ और औजार एवं संयंत्र की खर्चे शामिल हैं।		
1.3	योजनाओं, अनुमानों एवं विनिर्दिष्टियों पर राय देना	आरम्भिक निरीक्षण शुल्क का 75%
1.4	आरम्भिक / अंतिम मंजूरी के लिए जांच शुल्क	आरम्भिक निरीक्षण शुल्क का 75%
1.5	विद्युत उपक्रमों का मूल्यांकन	1000 रु + मूल्यांकन राशि का 0.5%
2.0	भारतीय विद्युत अधिनियम (1910 का केन्द्रीय अधिनियम 9) तथा उसके अधीन बने नियमों के तहत विवादों के समाधान हेतु शुल्कों की दर	
2.1	विवादित उपकरण अथवा मीटर, जहां निरीक्षणालय को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का केन्द्रीय अधिनियम 9) की धारा 21 अथवा धारा 26 के तहत उद्भूत किसी विवाद को निपटाने को कहा गया हो और उपकरण अथवा मीटर की प्रयोगशाला में जांच की गई हो, वहां निम्नलिखित शुल्क प्रभारित होंगे, नामतः -	
2.2	मीटर की जांच सहित विवादों का निपटान जरूरी है,	
	(ग) एल टी. एकल फेज घरेलू उपभोक्ता	100/- रुपए
	(घ) सभी अन्य उपभोक्ता	500 रु + विवादित राशि का 1%, जो दस रुपए के निकटतम पूर्णांकित हो, यदि आवश्यक हो, तो मीटर की जांच करने सहित अधिकतम 10,000/- रुपए के अधीन हो।
3.0	आरम्भिक निरीक्षण शुल्क: -	
3.1	ईएचवी / एचवी उपकरण	अधिकतम अधिकतम 15,000/- रुपए के अधीन 2/- रुपए / केवीए / केडब्ल्यू / केवीएआर
3.2	एलवी / एमवी उपकरण	5/- रुपए / केवीए / केडब्ल्यू / केवीएआर
3.3	सर्वयान नलिका	1/- रुपए / एम्पीयर / 20 मी. लम्बाई अथवा उसका भाग
3.4	स्विच बोर्ड / स्विच / ब्रेकर	1/- रुपए / एम्पीयर / आवक एवं जावक
3.5	एर्थ इलेक्ट्रोड	25/- रुपए प्रति इलेक्ट्रोड

Fees for Technical Advice/Consultancy

Sl.No	Nature of Service	Rate of fees in Rupees
1.0	Detailed engineering, preparation of technical drawings and estimates and specification of the equipment and technical scrutiny of tenders.	3% of estimated cost of works
1.1	Supervision, inspection and control during execution	4% of total cost of works
1.2	Construction of new works including detailed engineering	15% of total cost of works plus actual cost of establishment employed and actual expense
Note: The above percentage includes pensionary benefits and tools and plants and plant charges		
1.3	Giving opinion on plans, estimates and specifications	75% of Initial Inspection fee
1.4	Scrutiny fee for initial/final approval	75% of initial inspection fee
1.5	Valuation of electrical undertakings	Rs. 1000+0.5% of the valuation amount
2.0	Rates of fees for settlement of disputes under the Indian Electricity Act (Central Act 9 of 1910) and the Rules made thereunder.	
2.1	Disputed apparatus or meters where the inspectorate is called in to settle any dispute arising under Section 21 or section 26 of the Indian Electricity Act, 1910 (Central Act 9 of 1910) or under clause VI of the Schedule to the said Act and the apparatus or meter is tested in the Laboratory, the following fees shall be charged, namely:-	
2.2	Settlement of disputes including testing of meter is necessary	
	(c) L.T. Single phase domestic consumer	Rs. 100/-
	(d) All other consumers	Rs. 500/-+ 1% of disputed amount rounded to the nearest ten rupees, subject to a maximum of Rs. 10,000/- including testing of meter if necessary.
3.0	Initial Inspection fee:-	
3.1	EHV/HV Equipments	Rs. 2 / kVA / kW / kVAr subject to a maximum of Rs. 15,000/-
3.2	LV/MV Equipements	Rs. 5 / KVA / KW / kVAr
3.3	Bus duct	Rs. 1/Ampere/20 m length or part thereof
3.4	Switch board/switches/breakers	Rs. 1/Ampere/incomer and outgoing
3.5	Earth electrode	Rs. 25/Electrode

3.6	बिजली संरक्षण	1000/- रुपए प्रति भवन
3.7	ऊपरी लाइनें	10/- रुपए प्रति किमी.
3.8	विशेष उपकरण	
	(क) सी टी स्कैनर	5000/- रुपए
	(ख) एक्स-रे	5/- रुपए प्रति एम ए
	(ग) निऑन साइन	500/- रुपए/ के वी ए
	(घ) लिफ्ट	1000/ रुपए
	(ङ) इस्केलेटर	2500/- रुपए
3.9	अत्यधिक ऊँचे भवन	100/- रुपए/ एलटी/ एमवी प्रति उपभोक्ता
3.10	अन्य निरीक्षण	
	1. नियमावली के नियम 82 के उप-नियम (3) के तहत प्रमाणपत्र	500/- रुपए
	2. मृदा प्रतिरोधत्मकता माप	250/- रुपए
	3. अस्थायी संस्थापन	100/- रुपए
	4. सर्कस/ प्रदर्शनी/ मेला	1000/- रुपए
4.0	नियम 46, जांच शुल्क (आवधिक निरीक्षण)	(क) आरम्भिक निरीक्षण शुल्क का 50%
		(ख) लाइसेंसधारियों और के एस ई बी संस्थापन के लिए आरम्भिक निरीक्षण शुल्क का 25%
4.1	उपरोक्त सभी शुल्क न्यूनतम 100/-रुपए / दिन के अधीन हैं	

टिप्पणी: 1

निरीक्षण द्वारा निरीक्षण एवं जांच उसमें निहित शक्तियों के आधार पर निम्नलिखित आवधिकता के अनुसार होगी।

वर्ष में एक बार सभी एचवी/ ईएचवी संस्थापनों एवं उनके परिवर्धन

दो वर्ष में एक बार सभी एम वी संस्थापनों।

निऑन साइन, एक्स-रे, लिफ्ट, एस्केलेटर और एमवी जनरेटर और सीटी स्कैनरों की वर्ष में एक बार

टिप्पणी: 2

जहां कोई लाइसेंसधारी अथवा केरल राज्य विद्युत बोर्ड अथवा संस्थापन का मालिक सूचित करता है कि संस्थापन पूर्ण हो गया है तथा निरीक्षण के लिए तैयार है, परन्तु ऐसी सूचना के आधार पर किए गए निरीक्षण के दौरान पाया जाता है कि संस्थापन अधूरा है और पूरा होने पर निरीक्षण जरूरी है, तो प्रत्येक निरीक्षण की राय में यह समझा जाता है कि नमूना जांच आवश्यक है, तो फीस की वसूली की जाएगी और जिसे संबंधित धारा के तहत दरों के 50% पर वसूला जाएगा।

3.6	Lightning protection	Rs. 1000/Building
3.7	Overhead Lines	Rs. 10/km
3.8	Special Equipments	
	(a) CT Scanner	Rs. 5000
	(b) X-rays	Rs. 5/mA
	(c) Neon Sign	Rs. 500/kVA
	(d) Lifts	Rs. 1000
	(e) Escalator	Rs. 2500
3.9	High Rise Building	Rs.100 / LT / MV per consumer
3.10	Other Inspections	
	1. Certificate under sub rule (3) of Rule 82 of the Rules	Rs. 500
	2. Soil Resistivity Measurement	Rs. 250
	3. Temporary installations	Rs. 100
	4. Circus/Exhibition/Fairs	Rs. 1000
4.0	Rule 46 Inspection Fee (periodical Inspection)	(a) 50% of initial inspection fee
		(b) 25% of initial inspection fee for licensees and KSEB installation
4.1	All the above fee are subject to a minimum of Rs. 100/day	

Note: 1

Inspection and test by the Inspector by virtue of the powers vested in him shall be as per the following periodicity.

All HV/EHV installations and addition thereto, once in a year
All MV installations, once in two years

Neon Signs, X-rays, Lifts, Escalators and MV Generators and CT Scanners, once in a year

Note:2

Where any licensee or Kerala State Electricity Board or the owner of an installation reports that the installation is completed and ready for inspection but during the inspection carried out in the basis of such report is found that the installation is incomplete and that a subsequent inspection is necessary, full fee shall be levied for each inspection. Wherein the opinion of the inspector, it is considered that a check inspection is needed fees shall be levied and collected at 50% of the rates under the section concerned.

टिप्पणी: 3

उपयुक्त अनुसूची में निर्धारित दरें नियमावली के नियम 46 और 63 के तहत केरल राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित संस्थापन के निरीक्षण पर भी लागू होंगी।

टिप्पणी: 4

अनुसूची में निर्धारित फीस की निरीक्षक द्वारा (नियमावली के नियम 63 के तहत निरीक्षण के मामले में निरीक्षण के बाद और नियमावली के नियम 46 के तहत निरीक्षण के मामले में निरीक्षण से पहले) बिल के तहत मांग करेगा और बिल की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित लेखा शीर्ष “0043-00-102” के तहत सरकारी खजाने में अदा करेगा। संस्थापन में यंत्रों एवं उपकरण अथवा मीटर की जांच करने के लिए देय फीस सरकार द्वारा निर्धारित दर पर होगी।

8.4 नियम 63 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को किसी व्यक्ति को उच्च अथवा अत्यधिक उच्च वोल्टेज पर ऊर्जा की आपूर्ति शुरू करने से पहले लिखित में निरीक्षक की मंजूरी प्राप्त करनी होती है।

8.5 नियम 64, निरीक्षक को किसी उपभोक्ता को उच्च अथवा अत्यधिक उच्च वोल्टेज पर ऊर्जा की आपूर्ति शुरू करने के लिए एक आपूर्तिकर्ता अधिकृत करने की शर्तें निर्धारित करता है।

8.6 नियम 63 का उप-नियम (3) भी इस बात पर जोर देता है कि किसी उच्च अथवा अत्यधिक उच्च वोल्टेज संस्थापन के मालिक को, जो अपने संस्थापन में कोई परिवर्धन अथवा परिवर्तन करता है, उक्त परिवर्तनों अथवा परिवर्धनों को समाविष्ट करते हुए अपने उपकरण अथवा इलेक्ट्रिक सप्लाय लाइनों को आपूर्ति को जोड़ने से पहले लिखित में निरीक्षक की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

Note:3

The rates fixed in the appropriate schedule will be applicable to the inspection of the installation belonging to Kerala State Electricity Board also under Rule 46 and 63 of the Rules.

Note: 4

The fees prescribed in the schedule shall be demanded by a bill by the Inspector “(after the inspection in the case of inspection under Rule 63 of the Rules, and before the inspection in the case of an inspection under Rule 46 of the Rules) and shall be paid within thirty days from the date of receipt of the bill into a Government Treasury under the following head of account “ 0043- 00-102” ‘For testing the appliances and apparatus or meter in the installation the fees payable shall be at the rate prescribed by the Government

8.4 As per rule 63 the Supplier has to obtain before commencement of supply of energy at high or extra-high voltage to any person the approval of the Inspector in writing.

8.5 Rule 64 prescribes the conditions to be satisfied, for the inspector to authorize a supplier to commence a supply of energy at high or extra-high voltage to any consumer.

8.6 Sub rule (3) of Rule 63 also insists that the owner of any high or extra-high voltage installation who makes any additions or alterations to his installation, should obtain the permission of the Inspector in writing before connecting the supply to his apparatus or electric supply lines comprising the said alterations or additions.

अध्याय – IX

इलेक्ट्रिकल पर्यवेक्षकों एवं वायर कर्मियों को सक्षमता प्रमाण-पत्र एवं परमिट तथा इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों को लाइसेंस की प्रदायगी

9.1 भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 का नियम 45 निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रिकल संस्थापन कार्य को, जिसमें परिवर्धन, परिवर्तन, मरम्मतकार्य आदि शामिल है, किसी उपभोक्ता अथवा मालिक के, अथवा इनकी ओर से परिसरों में ऐसे उपभोक्ता अथवा मालिक को आपूर्ति के प्रयोजनार्थ केवल लाइसेंसयुक्त ठेकेदार और सीधे राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अथवा मान्यताप्राप्त सक्षमता प्रमाण-पत्र रखने वाले व्यक्ति के अधीन पूरा किया जाना चाहिए।

9.2 राज्य सरकार ने भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 45 के तहत इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों को लाइसेंस जारी करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पर्यवेक्षकों एवं वायर कर्मियों तथा अन्य संबंधित मामलों में सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए नियम एवं शर्तें निर्धारित की हैं।

9.3 (क) नियम 2, पांच सदस्यों वाले लाइसेंसिंग बोर्ड के गठन की व्यवस्था प्रदान करता है, जिनके अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कार्य हैं:

- (i) बिजली ठेकेदारों को लाइसेंस प्रदान करना
- (ii) बिजली पर्यवेक्षकों एवं वायर कर्मियों के संबंध में जांच करना
- (iii) बिजली सुपरवाइजरों एवं वायर कर्मियों को सक्षमता प्रमाण-पत्र एवं परमिट प्रदान करना
- (iv) आरोपों की जांच करना और वायर कर्मियों, सुपरवाइजरों, ठेकेदारों आदि के विरुद्ध कार्रवाई करना
- (v) फॉर्म के किसी भी व्यक्ति को, जो अन्यथा अर्हताप्राप्त हो, बिजली कार्यों के निष्पादन हेतु सीमित लाइसेंस जारी करना (कृपया नियम 33 को भी देखें)
- (vi) नियमावली के प्रावधानों का सामान्यतः पालन करना

(ख) बोर्ड का कोई भी निर्णय अंतिम होगा (नियम – 5)

9.4 सक्षमता प्रमाण-पत्र और परमिट सुपरवाइजरों एवं वायर कर्मियों को निर्धारित परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर प्रदान की जाती हैं और उन व्यक्तियों को भी प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें परीक्षा में बैठने की अपेक्षा से छूट दी गई हो (नियम 29,30 और 31)

वायर कर्मियों को प्रदान किए गए परमिट दो वर्ष में एक बार नवीकृत किया जाएगा बशर्ते कि नवीकरण दो वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित फीस के प्रेषण पर एक ही बार में अधिकतम चार वर्षों की अवधि के लिए किया गया हो (नियम 31)

जारी किए गए पर्यवेक्षकीय परमितों को भी प्रत्येक दो वर्ष में एक बार नवीकृत किया जाएगा (नियम 35)

सुपरवाइजरों/ वायर कर्मियों को प्रदान किए गए परमितों के नवीकरण के लिए आवेदन सचिव के पास परमित की वैधता की समाप्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले पहुंचना चाहिए। नवीकरण संबंधी फीस को वापस नहीं किया जाएगा। परमित जो नवीकरण हेतु परमित की समाप्ति की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होते हैं, समाप्त हो जाएंगे। तथापि, बोर्ड, अपने विवेक पर, निर्धारित

CHAPTER – IX

GRANT OF CERTIFICATES OF COMPETENCY AND PERMITS TO ELECTRICAL SUPERVISORS AND WIREMEN AND LICENCES TO ELECTRICAL CONTRACTORS

9.1 Rule 45 of the Indian Electricity Rules 1956 lays down that the electrical installation work, including additions, alterations, repairs etc should be carried out upon the premises of or on behalf of any consumer or owner for the purpose of supply to such consumer or owner only by a licensed contractor and under the direct supervision of a person holding a certificate of competency issued or recognized by the State Government.

9.2 The State Government have prescribed rules and conditions for the issue of licences to electrical contractors, for the grant of certificates of competency and of permits to Electrical supervisors and Electric wiremen and other related matters, under Rule 45 of the Indian Electricity Rules 1956.

9.3 (a) Rule 2 provides for the constitution of a Licensing Board consisting of five members, which have inter alia the following functions:

- (i). to grant licences to Electrical contractors
 - (ii). To conduct examinations for Electrical supervisors and wireman
 - (iii). To grant certificate of competency and permits to electrical supervisors and wiremen
 - (iv). To enquire into allegations and take action against wiremen, supervisors, contractors etc.
 - (v). to issue restricted licence for the execution of Electrical works to any person of firm who are otherwise qualified (please also see Rule 33)
 - (vi). To generally carry out the provisions of the rules
- (b). Any decision of the Board shall be final (Rules 5)

9.4 Certificates of competency and permits are granted to supervisors and wiremen on passing the prescribed examinations and also to those who have been granted exemption from the requirement of sitting for the examination (Rules 29,30 and 31)

The permit granted to a wireman shall be renewed once in two years provided that the renewal may be done for a maximum period of four years at a stretch on remittance of double the fee prescribed for a term of two years (Rule 31)

Supervisory permits issued shall also be renewal once every two years (Rule 35)

The application for renewal of permits granted to supervisors/wiremen should reach the Secretary at least one month before the date of expiry of the validity of the permit. The fee for renewal will not be refunded. Permits which have not been received for renewal within a period of three months from the date of expiry of permits shall lapse.

शुल्क की वसूली करने तथा अन्य दस्तावेज एवं ब्यौरे, जैसा भी आवश्यक समझा गया हो, प्राप्त करने के बाद समाप्त परमिटों के बदले में जारी किए जाने वाले नये परमिटों की अनुमति दे सकता है (नियम 35)।

9.5 निर्धारित शुल्क के भुगतान के लिए एक क्रॉस किया गया बैंक ड्राफ्ट जो स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर तिरुवनन्तपुरम में सम मूल्य पर देय हो और बोर्ड के सचिव के पक्ष में आहरित हो, आवेदन फॉर्म के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियमों के तहत परीक्षा हेतु बोर्ड के सचिव को भेजना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा एक बार अदा किए गए परीक्षा शुल्क को किसी भी कारण से वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी आगामी परीक्षा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा (नियम 23 और 24)।

निर्धारित शुल्क को परीक्षा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अथवा लिखित परीक्षा के किसी विशेष भाग अथवा मांगों के प्राप्तांकों के जोड़ की जांच करने के लिए प्रभारित किया जाएगा (नियम 37)।

9.6 सचिव द्वारा प्रमाण-पत्रों का रजिस्टर और इन नियमों के तहत स्वीकृत परमिटों का एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए (नियम 34)।

9.7 नियमों के तहत प्रदान किए गए वायर कर्मी के परमिट अथवा सुपरवाइजर के परमिट और / अथवा वायर कर्मी और/ अथवा पर्यवेक्षक के प्रमाण-पत्र की अनुलिपि को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर और मूल परमिट अथवा प्रमाण-पत्र और अन्य दस्तावेजों, जैसा भी सचिव द्वारा अपेक्षित हो, के गुम होने, क्षतिग्रस्त होने, विकृत होने, नष्ट होने अथवा अंगच्छेदन होने के सांख्यिकीय साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि अनुलिपि के लिए आवेदन मूल परमिट की समाप्ति से पहले किया गया हो (नियम 36)।

9.8 इलेक्ट्रिकल ठेकेदार के लाइसेंस सिर्फ बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यक्ति अथवा फॉर्म को प्रदान किया जाता है, जिसके स्वामित्व में भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के तहत अपेक्षित जांच करने के लिए आवश्यक यंत्र हो और उसके पास कम से कम एक सुपरवाइजर काम करता हो, जिसके पास वैध सक्षमता प्रमाण-पत्र और परमिट हो तथा कम से कम दो वायर कर्मी भी हों, जिनके पास कार्य निष्पादन हेतु वैध सक्षमता प्रमाण-पत्र और परमिट हो। इसमें दो श्रेणी के ठेकेदार होते हैं, नामतः श्रेणी 'क' ठेकेदार और श्रेणी 'ख' ठेकेदार। इन लाइसेंसों की मंजूरी के संबंध में शर्तें नियम 40 एवं 41 में विस्तार में दिए गए हैं। सचिव द्वारा सभी लाइसेंसयुक्त इलेक्ट्रिकल ठेके का एक रजिस्टर रखा जाना चाहिए (नियम 38 और नियम 52)।

9.9 इन नियमों के तहत स्वीकृत प्रत्येक इलेक्ट्रीकल ठेकेदार का लाइसेंस वार्षिक रूप से नवीकृत किया जाना चाहिए। लाइसेंस के साथ नवीकरण हेतु आवेदन और निर्धारित शुल्क को लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से कम से कम एक माह पहले सचिव के पास पहुंचना चाहिए। जहां आवेदन निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होता है, वहां सामान्य नवीकरण शुल्क के अलावा शास्ति भी वसूल की जानी होगी। लाइसेंस, जो लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर नवीकरण के लिए प्राप्त नहीं होते हैं, समाप्त हो जाएंगे। तथापि, बोर्ड अपने विवेक पर निर्धारित शुल्क की वसूली और अन्य ब्यौरे एवं दस्तावेज, जैसा भी जरूरी पाया गया हो, प्राप्त करने के बाद समाप्त हो गए लाइसेंसों के बदले में जारी किए जाने वाले नये लाइसेंसों की अनुमति दे सकता है (नियम 53)।

The Board may however, at its discretion allow fresh permits to be issued in lieu of the lapsed permits after levy of the fees prescribed and obtaining other documents and particulars as may be considered necessary (Rules 35)

9.5 A crossed Bank Draft for the payment of the prescribed fees drawn in favour of the Secretary to the Board payable at par at the State Bank of Travancore. Thiruvananthpauram should be sent along with the application form to the Secretary to the Board by every candidate for an examination under the rules. The examination fee once paid by a candidate shall not be refunded on any account and shall not be kept in reserve for any future examinations (rule 23 and 24)

A prescribed fee shall be charged for furnishing the information about the examination or for checking the addition of the marks of a particular part or parts of the written examination (Rule 37)

9.6 A register of certificates and permits granted under these Rules has to be maintained by the Secretary (Rule 34)

9.7 A duplicate of a wireman's permit or supervisor's permit and/or certificate of wireman and/or supervisor granted under the Rules can be issued on payment of the prescribed fees and on production of satisfactory proof of loss, damage, defacement, destruction or mutilation of the original permit or certificate and other documents as may be required by the Secretary provided that the application for duplicate is made before the expiry of the original permit (Rule 36)

9.8 Electrical contractors' licence is granted only to a person or firm approved by the Board who has in his possession the instruments necessary for carrying out the tests required under the Indian Electricity Rules 1956 and who has in his sole employ at least one supervisor holding a valid certificate of competency and permit and also at least two wiremen holding valid certificate of competency and permit for executing the work. There are two classes of contractors namely class "A" contractors and class "B" Contractors. Conditions for the grant of these licences are detailed in rules 40 and 41. A register of all licensed Electrical contract has to be maintained by the Secretary (Rule 38 and Rule 52)

9.9 Every Electrical contractors' licence, granted under these rules, has to be renewed annually. The application for renewal together with the licence and the prescribed fee should reach the Secretary, at least one month before the date of expiry of the licence. Where the application is received after the due date, penalty in addition to the normal renewal fee will also have to be collected. Licences which have not been received for renewal within a period of three months from the date of expiry of licence shall lapse. The Board may, however, at its discretion allow fresh licences to be issued in lieu of the lapsed licences after levy of the fees prescribed and obtaining other particulars and documents as may be found necessary (Rule 53)

9.10 इन नियमों के तहत स्वीकृत इलेक्ट्रिकल ठेकेदार के लाइसेंस की अनुलिपि को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर और मूल लाइसेंस के खोने, खराब होने अथवा विकृत होने के संतोषप्रद प्रमाण की प्राप्ति पर जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि अनुलिपि के लिए आवेदन मूल लाइसेंस की समाप्ति से पहले किया गया हो (नियम 54)।

9.11 नियमों के तहत जारी किए गए निम्न प्रमाण-पत्र, परमिट और लाइसेंसों के लिए फीस नियम 66 में निर्धारित है। फीस की मौजूदा दर को दिनांक 29-08-2005 की जी ओ (एम एस) सं. 29/2005/पी डी में जारी किए गए एस आर ओ 859/2005 में अधिसूचित किया गया था और अधिसूचना की तारीख से लागू है। फीस की दरें निम्नानुसार हैं।

क्रम सं.	प्रयोजन, जिसके लिए फिस अदा की जानी है	देय शुल्क
1.	लाइसेंस, परमिट और प्रमाण-पत्रों को प्रदान करने संबंधी परीक्षा हेतु आवेदन: (i) सुपरवाइजर ग्रेड 'ख' (ii) वयर कर्मी	360 220
2.	छूटप्राप्त श्रेणी/ विस्तार आशोधन के तहत परमिट जारी करने के लिए आवेदन शुल्क: (i) सुपरवाइजर ग्रेड 'क' (ii) सुपरवाइजर ग्रेड 'ख' (iii) वयर कर्मी	720 360 220
3.	ठेकेदार के लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क (जांच शुल्क) (i) ठेकेदार लाइसेंस श्रेणी 'क' (ii) ठेकेदार लाइसेंस श्रेणी 'ख' (iii) ठेकेदार लाइसेंस श्रेणी 'ग'	720 360 140
4.	लाइसेंस, परमिट और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क: (i) ठेकेदार श्रेणी - 'क' (ii) ठेकेदार श्रेणी - 'ख' (iii) ठेकेदार श्रेणी - 'ग' (iv) सुपरवाइजर ग्रेड - 'क' (v) सुपरवाइजर ग्रेड - 'ख' (vi) वयर कर्मी	3600 1800 430 1440 720 430
5.	लाइसेंस, परमिट और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नवीकरण शुल्क: (i) ठेकेदार श्रेणी 'क' (ii) ठेकेदार श्रेणी 'ख' (iii) ठेकेदार श्रेणी 'ग' (iv) सुपरवाइजर ग्रेड 'क' (v) सुपरवाइजर ग्रेड 'ख' (vi) वयरमैन	2160 1080 360 720 360 220 (5 वर्ष) 430 (10 वर्ष)

9.10 A duplicate of an Electrical contractor's licence granted under these rules can be issued on payment of the prescribed fee and on satisfactory proof of the loss, damage or destruction of the original licence, provided the application for duplicate is made before the expiry of the original licence (Rule 54).

9.11 The fees for various certificates, permits and licences issued under the rules are prescribed in rule 66. The existing rate of fees were notified in SRO 859/2005 issued in GO(MS) No. 29/2005/PD dt 29.8.2005 and is in force from the date of notification. The rates of fee are as follows.

Sl.No.	Purpose for which fee is to be paid	Fee payable
1	Application for examination for the grant of Licences, Permits and Certificates: (i). Supervisors Grade 'B' (ii). Wireman	360 220
2	Application fee for issue Permits under exempted category/scope modification: (i). Supervisors Grade 'A' (ii). Supervisors Grade 'B' (iii). Wireman	720 360 220
3	Application fee for Contractors Licence(Scrutiny fee) (i). Contractor Licence Class 'A' (ii). Contractor Licence Class 'B' (iii). Contractor Licence Class 'C'	720 360 140
4	Fee for issue of Licences, Permits and Certificates: (i). Contractor Class 'A' (ii). Contractor Class 'B' (iii). Contractor Class 'C' (iv). Supervisor Grade 'A' (v). Supervisor Grade 'B' (vi). Wireman	3600 1800 430 1440 720 430
5	Renewal fee for issue of Licences, Permits and Certificates: (i). Contractor Class 'A' (ii). Contractor Class 'B' (iii). Contractor Class 'C' (iv). Supervisor Grade 'A' (v). Supervisor Grade 'B' (vi). Wireman	2160 1080 360 720 360 220 (5 Years) 430 (10 Years)

6.	निर्धारित तारीख के बाद लाइसेंस एवं परमिटों के नवीकरण के लिए बिलंब शुल्क: (i) ठेकेदार श्रेणी 'क' (ii) ठेकेदार श्रेणी 'ख' (iii) ठेकेदार श्रेणी 'ग' (iv) सूपरवाइजर ग्रेड 'क' (v) सूपरवाइजर ग्रेड 'ख' (vi) वयरमैन	720 360 140 360 180 110
7.	समाप्त हो गए परमिटों/ लाइसेंसों के बदले में नये लाइसेंस/ परमिट जारी करने के लिए शुल्क: (i) ठेकेदार श्रेणी - 'क' (ii) ठेकेदार श्रेणी - 'ख' (iii) ठेकेदार श्रेणी - 'ग' (iv) सूपरवाइजर ग्रेड - 'क' (v) सूपरवाइजर ग्रेड - 'ख' (vi) वयरमैन	3600 1800 430 1440 720 430
8.	अनुलिपि लाइसेंस/ परमिट और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए शुल्क: (i) ठेकेदार श्रेणी - 'क' (ii) ठेकेदार श्रेणी - 'ख' (iii) ठेकेदार श्रेणी - 'ग' (iv) सूपरवाइजर ग्रेड - 'क' (v) सूपरवाइजर ग्रेड - 'ख' (vi) वयरमैन	1440 720 540 720 360 220
9.	विवादों के निपटान हेतु फीस	720
10.	अपील करने के लिए फीस	220
11.	नियम 37 के तहत फीस	70
12.	ठेकेदार के लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म की लागत: श्रेणी 'क' श्रेणी 'ख' श्रेणी 'ग'	360 140 140
13.	वयरमैन/ सूपरवाइजर (छूट) के लिए आवेदन फॉर्म की लागत	110
14.	वयरमैन/ सूपरवाइजर (परीक्षा) के लिए आवेदन फॉर्म की लागत	110
15.	स्टॉफ रजिस्टर की लागत	180
16.	वयरमैन/ सूपरवाइजरों के लिए (3 वर्ष के लिए) संस्थान की मान्यता / नवीकरण जारी करने हेतु फीस	1800
17.	वयरमैन/ सूपरवाइजर के लिए संस्थान के अंतरिम निरीक्षण हेतु फीस	540
18.	केवल जोड़ने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र एवं परमिट जारी करने के लिए फीस	1440
19.	ठेकेदार के अन्तर्गत अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती के लिए फीस (प्रति वायरमैन/ सुपरवाइजर)	140
20.	प्रति अभ्यर्थी प्रशिक्षुओं के पंजीकरण हेतु फीस	140
21.	बोर्ड द्वारा प्रदान की गई किन्हीं अन्य सेवाओं, जो उपरोक्त मदों में शामिल न हों, के लिए फीस	140

6	Late fee for renewal of Licences and Permits after the due date: (i). Contractor Class 'A' (ii). Contractor Class 'B' (iii). Contractor Class 'C' (iv). Supervisor Grade 'A' (v). Supervisor Grade 'B' (vi). Wireman	720 360 140 360 180 110
7	Fee for the issue of fresh Licences/ Permits in lieu of lapsed Permits/Licences: (i). Contractor Class 'A' (ii). Contractor Class 'B' (iii). Contractor Class 'C' (iv). Supervisor Grade 'A' (v). Supervisor Grade 'B' (vi). Wireman	3600 1800 430 1440 720 430
8	Fee for the issue of duplicate Licences/Permits and Certificates: (i). Contractor Class 'A' (ii). Contractor Class 'B' (iii). Contractor Class 'C' (iv). Supervisor Grade 'A' (v). Supervisor Grade 'B' (vi). Wireman	1440 720 540 720 360 220
9	Fee for settlement of disputes	720
10	Fee for making appeals	220
11	Fee under rule 37	70
12	Cost of application form for Contractors' Licences: Class 'A' Class 'B' Class 'C'	360 140 140
13	Cost of application form for Wireman/Supervisors (Exemption)	110
14	Cost of application form for Wireman/Supervisor (Examination)	110
15	Cost of Staff Register	180
16	Fee for issue of recognition/renewal of Institute for Wireman/Supervisors (for 3 years)	1800
17	Fee for interim inspection of the Institute for Wireman/ Supervisor	540
18	Fee for issue of Competency Certificate and Permits for Cable jointing	1440
19	Fee for Additional Staff Enrolment under Contractors (Per Wireman/Supervisors)	140
20	Fee for Registration of Apprentices per Candidate	140
21	Fee for any other service rendered by the Board not covered in the above items	140

स्पष्टीकरण:- उपरोक्त मदों के तहत देय सभी शुल्कों को केरल राज्य विद्युत लाइसेंसिंग बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा शीर्ष के तहत केरल के सरकारी खजाने में भेजा जाएगा और मूल चालान को ऐसे प्रेषण के साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाएगा ।

Explanation:- All fees payable under the above items shall be remitted into a Government Treasury in Kerala under the Head of Account specified by the Kerala State Electricity Licensing Board and the original Chalan should be produced in proof of such remittance

अध्याय – X
केरल सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1958 और नियमावली, 1988

- 10.1 लाइसेंसिंग प्राधिकारी (अधिनियम की धारा 40) चलचित्रण प्रदर्शनी के लिए भवनों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण के लिए, मशीनरी आदि के संस्थापन के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत अनुमति प्रदान कर सकता है। अनुमति, स्थायी भवन के संबंध में एक वर्ष के लिए मान्य होगी और पर्याप्त कारणों से अधिकतम दस वर्षों की अवधि के लिए उत्तरोत्तर अवधियों के लिए नवीकृत किया जा सकता है, परन्तु अस्थायी भवन के मामले में, अनुमति केवल छह माह के लिए मान्य होगी और इस अवधि को पर्याप्त कारणों के आधार पर चार वर्ष की और अवधि के लिए उत्तरोत्तर अवधियों हेतु आवेदन करने पर नवीकृत किया जा सकता है।
- 10.2 स्वीकृत योजना के अनुसार भवन एवं इलेक्ट्रीकल संस्थापन, चलचित्रण उपकरण और प्लांट एवं एयर कंडीशनिंग प्लांट के पूरा होने पर, आवेदक फॉर्म "घ" में सरकार के मुख्य इलेक्ट्रीकल निरीक्षक से अथवा उसके नामिती, जिसके पास क्षेत्र का क्षेत्राधिकार हो, से इलेक्ट्रीकल एवं फायर प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा। फॉर्म "घ" में प्रमाण-पत्र के लिए हर आवेदन आवश्यक दस्तावेजों और निरीक्षण फीस हेतु खजाना रसीद के साथ किया जाएगा, जैसा कि नियम 32 और 33 में अपेक्षित है, (नीचे पैरा 10.5 देखें)। इलेक्ट्रीकल प्रमाण-पत्र की अनुलिपि को 25/- रुपए के शुल्क के भुगतान पर प्रदान किया जा सकता है। इलेक्ट्रीकल प्रमाण-पत्र उसी अवधि के लिए मान्य होगा, जिस अवधि के लिए 'ग' प्रमाण-पत्र है, अर्थात् स्थायी भवन के मामले में तीन वर्ष के लिए और अस्थायी भवनों के मामले में अधिकतम एक वर्ष और न्यूनतम छह महीने के लिए। (नियम 12(1))।
- 10.3 नियम 12(i) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने के बाद लाइसेंसिंग प्राधिकारी आवेदन करने पर चलचित्रण प्रदर्शनी की प्रदर्शनी के लिए अधिनियम की धारा 3 के तहत फॉर्म 'ड' में अनुलिपि में लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस की वैधता की अवधियां स्थायी और अस्थायी सिनेमा के संबंध में एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाइसेंस की वैधता की अवधि को प्रमाण-पत्रों की वैधता की तारीख से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।
- 10.4 अदा किए गए शुल्क संबंधी खजाना रसीद के साथ नवीकरण हेतु आवेदन को (स्थायी सिनेमा संस्थापन के लिए 150 रुपए और अस्थायी सिनेमा संस्थापनों के लिए 75 रुपए - नियम 31) मौजूदा लाइसेंस की समाप्ति से एक माह पहले अग्रेषित किया जाएगा।
- 10.5 प्रत्येक संलग्नक, चलचित्रण उपकरण एवं संयंत्र और इलेक्ट्रीकल संस्थापन का सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक अथवा उसके नामिती द्वारा पहले निर्माण पर और उसके बाद फॉर्म 'घ' में प्रमाण-पत्र के प्रत्येक नवीकरण पर निरीक्षण किया जाएगा। उसे किसी भी परिसर के उपकरण, संयंत्र और इलेक्ट्रीकल संस्थापनों कि किसी भी समय विशेष परिसरों के संबंध में उसके द्वारा जारी किए गए 'घ' प्रमाण-पत्र के प्रचलन के भीतर निरीक्षण करने और लाइसेंसधारी को ऐसे निरीक्षण के दौरान जानकारी में आयी किसी त्रुटि को ठीक करने का निदेश देने के अधिकार होंगे। लाइसेंसधारी ऐसे निर्देशन का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

CHAPTER -X

THE KERALA CINEMA (REGULATION) ACT 1958 AND RULES 1988

- 10.1 The Licensing authority (Section 4 of the Act) may grant permission under Section 6 of the Act for the construction and reconstruction of buildings, installation of machinery etc. for cinematograph exhibition. The permission shall be valid for one year in respect of permanent building and may be renewed for successive periods for sufficient reasons for a maximum period of ten years, but in respect of a temporary building the permission shall be valid for six months only and this period may be renewed on application for successive periods for a further period of four years for sufficient reasons.
- 10.2 On completion of the building and electrical installation according to the approved plan, cinematograph apparatus and plant and air conditioning plant, the applicant shall obtain an electrical and fire certificate in Form 'D' from the Chief Electrical Inspector to Government or his nominee having jurisdiction over the area. Every application for a certificate in Form 'D' shall be made along with necessary documents and the treasury receipt for the inspection fee as required in rules 32 and 33. (see para 10.5 below) A duplicate of the electrical certificate may be granted on payment of a fee of Rs. 25/-. The electrical Certificate shall be valid for the same period as for 'C' certificate ie for three years in the case of permanent building and upto a maximum one year and minimum of six months in the case of temporary buildings.[Rule 12 (1)]
- 10.3 After obtaining the certificate referred to in rule 12 (i) the licensing authority on application, shall issue a licence in duplicate in Form 'E' under Section 3 of the Act for exhibition of cinematograph shows. The periods of validity of the licence may not exceed a period of one year in respect of permanent and temporary cinema. The period of validity of the licence shall not extend beyond the date of validity of the certificates.
- 10.4 Application for renewal alongwith treasury receipt for the fee paid (Rs. 150 for permanent cinema installation and Rs. 75 for temporary cinema installations- Rule 31) shall be forwarded one month before the expiry of the existing licence.
- 10.5 Every enclosure, cinematograph apparatus and plant and electrical installation shall be inspected when first erected and thereafter at every renewal of the certificate in form 'D' by the Chief Electrical Inspector to Government or his nominee. He shall have powers to inspect the apparatus, plant and electrical installations of any premises at any time within the currency of the 'D' Certificate issued by him in respect of the particular premises and to direct the licensee to rectify any defect noticed during such inspection. The licensee shall be bound to carry out such direction.

निरीक्षण के लिए निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है: –

सिनेमा की श्रेणी	पहला निरीक्षण	प्रमाणपत्रों के नवीकरण से पहले निरीक्षण हेतु
1. स्थायी सिनेमा	350	150
2. अस्थायी सिनेमा	150	75

The fee prescribed for the inspection are as follows:-

Category of cinema	First inspection	For inspection before the renewal of certificates
1. Permanent cinema	350	150
2. Temporary Cinema	150	75

अध्याय XI

लेखापरीक्षा जांच

विद्युत शुल्क की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु नीचे दी गयी हैं।

1. लाइसेंसधारियों द्वारा दायर किए गए विवरणी की संवीक्षा यह देखने के लिए की जानी चाहिए कि उपभोक्ताओं के संबंध में शुल्क का निर्धारण सही किया गया है कि नहीं, लाइसेंसधारी द्वारा देय राशियों की वसूली की गई है कि नहीं, और सरकार को अदा किए गए हैं कि नहीं और बेची गई ऊर्जा के संबंध में लाइसेंसधारियों पर कर का निर्धारण सही तरीके में किया गया है कि नहीं और देय राशि को सरकार के खाते में क्रेडिट किया गया है कि नहीं।
2. केरल राज्य विद्युत बोर्ड, जो प्रमुख लाइसेंसधारी है, के मामले में, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा पार्टी अपने लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान बोर्ड द्वारा अनुरक्षित उपभोक्ता खाता बही में प्रविष्टियों की प्रतिशत – नमूना जांच करेगी। वाणिज्यिक लेखापरीक्षा दल द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा जांचों के ब्यौरे वाणिज्यिक लेखापरीक्षा नियम-पुस्तक में बताए गए हैं।

निजी लाइसेंसधारियों के संबंध में जांचकर्ता अधिकारियों के रिपोर्टों को यह देखने के लिए जांच करनी चाहिए कि इसमें कोई कर अपवंचन तो नहीं किया गया है और यदि किया गया है, तो विद्युत निरीक्षणालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है।

3. विद्युत शुल्क के संबंध में, प्रभाग/ उप-प्रभाग/ मुख्य विद्युत निरीक्षणालय के निरीक्षकों द्वारा रखे गए विभिन्न रिकॉर्डों तथा लाइसेंसधारियों आदि की मांग, वसूली एवं शेष संबंधी रजिस्ट्रों की जांच की जाएगी।
4. केरल सिनेमा विनियमन नियमावली तथा विद्युत अधिनियम एवं नियमावली, 1956 के तहत प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में निरीक्षकों/ मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा रखे गए रिकॉर्डों, उस संबंध में शुल्कों की वसूली और सरकारी खाते में उन्हें भेजने की जांच करनी चाहिए।
5. निरीक्षक के रिपोर्ट की आलोचनात्मक समीक्षा करनी चाहिए।
6. शुल्क एवं अन्य वसूलियों के बिलंबित प्रेषण हेतु अधिनियम और नियमों के तहत वसूल की गयी ब्याज की उपयुक्तता की जांच की जाएगी।
7. केरल विद्युत शुल्क अधिनियम, 1963 की धारा 11 और 12 के तहत प्रदान किए गए छूटों की गहन रूप से जांच करनी चाहिए।
8. आवधिक निरीक्षण संबंधी विभिन्न शुल्कों की वसूली की उपयुक्तता की और उपभोक्ता संस्थापनों के जांच की तथा बिजली ठेकेदारों/ सूपरवाइजरों/ वयरमैन से प्राप्त शुल्कों की जांच करनी चाहिए।

CHAPTER XI

AUDIT CHECKS

Some of the important points in the audit of receipts of electricity duty are enumerated below.

1. Scrutiny of the return filed by the licensees should be made to see whether the assessment of duty on consumers has been made correctly, the amounts payable have been recovered by the licensee and paid to Government and whether the assessment of tax on licensees for energy sold has been made correctly and the amount payable has been credited to Government.
2. In the case of Kerala State Electricity Board which is the major licensee, the commercial audit-party shall conduct a percentage test-check of the entries in the consumers ledger account maintained by the Board during the course of their audit. Details of audit checks to be exercised by Commercial Audit Party are enumerated in the Manual of Commercial Audit.

In respect of private licensees, the reports of the inspecting Officers, should be scrutinized to see whether there has been any evasion of tax and if so what action has been taken by the Electrical Inspectorate.

3. Various records maintained by the Inspectors of the Divisions/Sub-Division/Chief-Electrical Inspectorate and the Demand, Collection and Balance registers of licensees etc, with regard to Electricity duty shall be scrutinized.
4. The records maintained by the Inspectors/Chief Electrical Inspector regarding services rendered under the Kerala cinema regulation rules and Electricity Act and Rules 1956, collection of fees on that account and their remittance to Government account should be scrutinized.
5. Inspector's report should be critically reviewed
6. Correctness of the interest levied under the Act and rules for belated remittance of duty and other collections shall be checked.
7. Exemptions granted under Section 11 and 12 of the Kerala Electricity Duty Act 1963 should be scrutinized critically.
8. Correctness of the collections of various fees for periodical Inspection and test of consumer installations and fees from the Electrical Contractors/Supervisors/Wiremen should be checked.

अध्याय – XII

रिपोर्टिंग

निरीक्षण रिपोर्ट के प्रचालन के साथ ही रिपोर्टिंग प्रक्रिया शुरू होती है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में शब्द आडम्बर से बचते हुए स्पष्ट भाषा में शामिल मामलों की स्पष्टता एवं सही लेखा को प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। यथार्थता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और लेखापरीक्षण मानकों में निर्धारित रिपोर्टिंग मानकों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

चूंकि, रिपोर्टिंग प्रक्रिया मसौदा निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने से शुरू होती है इसलिए इसे कर्मनिष्ठता से तैयार करना चाहिए और इसे आवश्यक रिकॉर्डों के साथ होना चाहिए।

निरीक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित भाग शामिल होने चाहिए।

भाग I (क) परिचय

(ख) पूर्ववर्ती निरीक्षण, रिपोर्टों में बकाया पैरा

(ग) निरन्तर रहने वाली अनियमितताओं की अनुसूची

भाग II (क) बड़ी अनियमितताएं जो संभवतः मसौदा पैराग्राफ में दिखाई देती हैं

(ख) अनियमितताएं, जो हालांकि बड़ी नहीं होती हैं, परन्तु उन्हें उच्च प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाना अपेक्षित होता है।

भाग III नमूना लेखापरीक्षा नोट्स को, जिसमें छोटी-छोटी अनियमितताएं हों, जिसके लिए मदों की सूची का उसी समय निपटान किया गया है और उन प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को, जिन्हें कार्यालय प्रमुख ने भविष्य में ठीक करने का आश्वासन दिया है, संलग्न करना चाहिए।

नगण्य मामलों का, जिन्हें तुरन्त ठीक किया जा सकता है और ठीक किया गया हो अथवा जिनका सरकार की वित्त व्यवस्था पर कोई परिणाम न हो, उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। पता लगाई गई किन्हीं त्रुटियों अथवा अनियमितताओं के संबंध में विवरणों और आंकड़ों को स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। उल्लंघन किए गए नियम अथवा आदेश को उद्धृत करना पर्याप्त नहीं होता है सरकार के वित्तीय हित पर ऐसे विचलन के सही अथवा संभावित प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। रिपोर्ट की भाषा और भाव के संबंध में विशेष ध्यान देना चाहिए। निरीक्षण रिपोर्ट को निरीक्षणकर्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के निरीक्षित कार्यालय को छोड़ने से पहले पूरा कर लेना चाहिए और इस पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए जब तक कि कार्यालय का प्रभारी अधिकारी (अथवा कोई अन्य अधिकारी जो उसकी ओर से कार्य कर रहा हो) ने इसे पढ़ने एवं चर्चा करने का तथा कोई चूक अथवा आशोधनों के सुझाव देने का अवसर नहीं दिया हो। रिपोर्ट जहां तक संभव हो, संक्षिप्त होनी चाहिए।

CHAPTER – XII

REPORTING

The reporting process begins with the issuance of Inspection Report. As for the Audit Report there should be an endeavour to present a clear and correct account of the issues involved in plain language avoiding verbosity. Accuracy, brevity, clarity and purposeful focus should be the hallmark of the reports and special care should be taken to conform to the reporting standards laid down in the Auditing Standards.

Since the reporting process begins with the preparation of draft Inspection report, it should be prepared with diligence and should be accompanied with necessary records.

The Inspection Report should consist of the following parts.

Part I (a). Introductory

(b). Outstanding paras in previous Inspection Reports

(c). Schedule of Persistent Irregularities.

Part II (A). Major Irregularities likely to materialise into draft Paragraph

(B). Irregularities though not major, that require to be brought to the notice of higher authorities.

Part III. Test Audit Notes containing minor irregularities to which a schedule of items settled on the spot and that of procedural irregularities which the head of office assured to rectify in future should be attached.

Trivial matters which can be and have been set right on the spot or are of no consequence to the finance of the Government, need not be mentioned. Statements and figures in relation to any defects or irregularities discovered should be based on clear documentary evidence. It is not sufficient to quote the rule or order violated; the actual or possible effect of such deviation on the financial interest of the Government should be explained clearly. Particular care should be taken in regard to the language and tone of the report. The Inspection Report should be completed before the Inspecting Audit officer leaves the office inspected and it should not be signed until the officer in charge of the office (or any other officer acting on his behalf) has been given the opportunity of reading and discussing it and suggesting any Omissions or modifications. The report should be as brief as possible.